

id fokflr

xkj [ki j 04 tkykA vEcMdj xkø dk 'kr ifr'kr l eLr ; kstukvka
l s l arflrdj .k dk dk; Z i R; sd n'kk ea 15 uoEcj rd iij s gks tkus pkfg,
bl es f'kfFkyrk fdl h Hkh Lrj ij {kE; ugh gA bl ds vfrfjDr vEcMdj
xkø dk LVsI fjikVZ vfoyc miyc/k djkn; k tk; s , ø fuekZk dk; kã
dh xqkoRrk , ø l e; c) rk ij fo'kš'k /; ku j [kk tk; A bl ds vfrfjDr
iVVk vkoø/u ea ; g l fuf'pr gks fd vuq fpr tkfr dk dkbZ Hkh ik=
0; fDr ofpr u jgus ik; s vkš ; g dk; Z 15 tkykZ rd iwKZ dj fy, tk; A
; g funžk uokxr ftykf/kdkjh Jh lat; dækj us fodkl Hkou
l Hkkxkj ea vk; kftr fodkl dk; Øeka dh ekfl d l eh{kk cBd djrs gq
fn; A bl volj ij mlgkaus vf/kdkfj; ka l s ifjp; iklr djrs gq dgk fd
vf/kdkjh x.k vius nkf; Roka dk fuogZu iijh fu"Bk] yxu , ø bækunkjh ds
l kFk djrs gq 'kkl u }kjk l pkyr tu dY; k.kdkjh ; kstukvka dk ykHk
l ekt ds vfre 0; fDr rd vo'; i gopk; a rkfd xkøka dks fodfl r fd; k
tk l dA mlgkaus tu dY; k.kdkjh ; kstukvka ds fØ; kllø; u dks l e; l s
iijk djus ds funžk nrs gq dgk fd xkø dks u; s Lo: i nus graq l Hkh dks
, d l kFk yxdj dk; Z djuk gksxA mlgkaus ik=ka dks ykHkkfUor djus ds
funžk nrs gq dgk fd vkaøukMh dlnka ij dkQh /; ku nus ds
vko'; drk gA

ftykf/kdkjh us dgk fd Nks/s Nks/s iz; kl ka l s cMk Lo: i fn; k tk
l drk gA mlgkaus dgk fd vxj vkneh dks dke ds ifr yxko gks tkrk gS
rks ml ds Nks/s l s iz; kl l s cMk cnyko vkrk gS ftl dk i Hkkoh ykHk ik=
tuka dks feyrk gA mlgkaus dgk fd vf/kdkjh x.k Vhe Hkkouk ds l kFk
dke dj vPNs ekgkšy l ftr djus ftl l s tuin dks fodkl dk u; k
vk; ke iklr gkA

l eh{kk ds nkšku crk; k x; k fd 83 vEcMdj xkø ea l hOI hO jkM
dk dk; Z i k jEHk gks x; k gA Jh dækj us dgk fd l hOI hO jkM] dØ l hO
Møu cukr l e; ty fudkl h dh l eifpr 0; oLFkk l fuf'pr gks bl ds l kFk
gh l jdkjh tehu ij ; fn dgh voš'k dCtk fn [ks rks rRdky i Hkko l s
gVok; k tk; s rFkk eujsk ds rgr gj xkø ea dk; Z gkus pkfg, vkš bl
; kstuk ds rgr iklr /kujkf'k dk l e; l s l nq; ksx gksuk pkfg, A
fo/kqhdj .k ds l aak ea crk; k x; k fd 83 ds l ki š'k 21 xkø ea dk; Z iwKZ
gks x; k gA ftykf/kdkjh us bl dh l uph miyc/k djkus ds funžk fn; s
rkfd ml dk l R; ki u dj; k tk l dA

LoPN is ty ds l aak ea crk; k x; k fd 50 ifr'kr dk; Z iwks pøpk
gA LoPN 'kkš'ky; dh l eh{kk ds nkšku ekg dh ixfr ij vl ar'kš'k 0; Dr
djrs gq Jh lat; dækj us Mhi hvkjvks dks funžk fn; s fd vxLr ekg
rd 'kr ifr'kr y{; iij s dj fn; s tk; A l kenkf; d dlnka dh fuekZk dh

I eh{kk ds nkj ku ftykf/kdkjh us dk; Z ea rsth ykrs gq I e; I s iwkZ djus ds funz k dk; hnk; h I LFkk dks fn; A ekO dkd khjke vkokl ; kstuk ds I caak ea mlgkaus dgk fd , d I lrg ds vlnj fuekZ k dk; z ikjEHk dj k fn; s tk; A mlgkaus eq; fodkl vf/kdkjh I s dgk fd I Hkh fuekZ k , t f l ; ka dh , d vyx I s cBd cykdj bl dh foLrr I eh{kk dh tk; A mlgkaus dk; Z dh xq koRrk ij fo'ksk /; ku nus ds funz k fn; A xke I fpoky; ds I caak ea Jh dekj us dgk fd tks dk; Z iwkZ gks x; s gsa ml s gsa Mvkoj dj fn; k tk; A

ikFkfed fo|ky; ea iqrda@Msl forj.k dh I eh{kk ds nkj ku crk; k x; k fd 15 vxLr rd 'kr ifr'kr forj.k I fuf'pr gks tk; sxkA bl ekg ea iqrda miyc/k gks tk; sxhA ftykf/kdkjh us fo|ky; ka ea okmaMjhoky ij fo'ksk cy nrs gq dgk fd feMMehy ehud ds vuq i cuus pkfg, bl dh I rr fuxjukh j [kh tk; A I QkbZ dfez; ka ds I caak ea Jh dekj us dgk fd budh , d dk; Z kkyk vk; kstr dj budh ftEenkfj; ka I s voxr dj k; k tk; A mlgkaus dgk fd xka dh I QkbZ ij fo'ksk /; ku na D; kfd xnxh I s vusdkusd chekfj; ka mRiUu gsrh gsa tuuh I g {kk ; kstuk ds I caak ea mlgkaus I h, evks I s dgk fd os vk'kkvka ds dk; ka dh I eh{kk djrs jga rFkk fuf"O; vk'kkvka dks gvkdj I fO; vk'kkvka dks rSukr fd; k tk; A

bl volj ij ftykf/kdkjh us Mh, I vks dks funz k fn; s fd , d ekg I s vf/kd dkbz dks/s dh nplku I Ec) ugh gkuh pkfg, vksj ; g I fuf'pr gks fd [kk|klu forj.k ea dgh cM€Mh dh f'kdk; r u feys vksj [kk|klu mBku iki jyh gksA mlgkaus forj.k 0; oLFkk I e; I s , o iijh ikjnf'krk ds I kFk dj kus ds funz k fn; A Jh dekj us ; g Hkh dgk fd , d I oZ ds rgr tuin ds I Hkh ik= fodykaxka dks fpflgr dj mlga 'kkl dh; ; kstukvka I s ykHkkflor dj k; k tk; A mlgkaus o{kkjksi .k ij cy nrs gq Mh, Qvks dks funz k fn; s fd os ojk; Vhokj ul jh dh I pph foHkkxka dks dy rd miyc/k dj k naA uydii ka dh I eh{kk ds nkj ku crk; k x; k fd 21 uydii [kjkc gsa ftykf/kdkjh , d I lrg ds vlnj Bhd dj kus ds funz k nrs gq dgk fd , d I lrg I s vf/kd dkbz uydii cIn gkus pkfg, A

cBd dk I pkyu eq; fodkl vf/kdkjh ghjk yky us fd; ka bl volj ij eq; jktLo vf/kdkjh dOdO xDrk] eq; fpdfRI kf/kdkjh MkO vkjO, uO feJ] ihOvkO MMk I R; Unz dekj f=i kBh] cfl d f'k{kk vf/kdkjh I ohkulln] vf/k'kkl h vfHk; ark ykOfuOfuO xykc pln] I g {kd I puk vatuh dekj feJ] ftyk [kk|foi.ku vf/kdkjh tsih, I rkej] mi df'k funs kd t; idk'k] ftyk xluuk vf/kdkjh MkO fnus'oj feJ] [kknh xkes'kksx vf/kdkjh chOdO JhokLro I fgr foHkUu foHkkxka ds I caf/kr vf/kdkjh mi fLFkr jga

I 0l Wfu0 xkj [ki j

i d foKflr

गोरखपुर 05 जुलाई। जन समस्याओं का वास्तविक निस्तारण गुण दोष के आधार पर प्रमुखता के साथ किया जाये और किसी भी दशा में एक सप्ताह के अन्दर मामलों का निस्तारण कर दिया जाये इसमें किसी भी स्तर पर शिथिलता न बरती जाये अन्यथा संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही निश्चित है। जन शिकायतों की मानीटरिंग शासन स्तर पर की जाती है और यह शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से है। जनता को जिला मुख्यालय न जाना पड़े इसके लिए तहसील दिवसों का आयोजन किया जाता है।

यह निर्देश जिलाधिकारी श्री संजय कुमार ने सहजनवा में आयोजित तहसील दिवस की अध्यक्षता करते हुए दिये। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों को जन समस्याओं के निस्तारण प्रति संवेदनशील होकर कार्य करने के निर्देश देते हुए कहा कि अधिकारी गण समय से तहसील दिवस में स्वयं उपस्थित हों और प्राप्त जन समस्याओं को त्वरित गति से निस्तारित करें। मामलों को किसी भी दशा में लंबित न रखा जाये और यदि किसी विधिक कारण वश निस्तारण कठिनाई आती है तो उसका उल्लेख करते हुए आवेदक को अवगत कराया जाये। इसके अतिरिक्त पंजिका में शिकायतों को दर्ज करते हुए आवेदक का दूरभाष नम्बर भी अंकित किया जाये और उसे निस्तारण से अवगत भी कराया जाये।

श्री संजय कुमार ने यह भी कहा कि यदि आवेदक बार बार शिकायत करने का आदती हो गया हो तो उसकी जांच कराकर उसके विरुद्ध कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाये। उन्होंने उप जिलाधिकारी को निर्देश दिये कि सार्वजनिक जमीन/सम्पत्ति पर यदि कहीं अतिक्रमण की जानकारी मिलती है तो तत्काल प्रभाव से अतिक्रमण हटाते हुए संबंधित के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज करायी जाये। उन्होंने वरासत के मामलों को वरीयता के आधार पर निस्तारित करने के निर्देश देते हुए कहा कि यदि अवैध कब्जा की जानकारी मिलती है तो राजस्व के साथ साथ पुलिस के लोग भी मौके पर जाकर अवैध कब्जा हटवायें।

इस अवसर पर कुल 265 मामलों के आने तथा उसमें से दर्जनों मामलों का निस्तारण बताया गया। शेष मामलों को एक सप्ताह के अन्दर निस्तारित करने के निर्देश दिये गये। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि यह सुनिश्चित हो कि मामले की पुनरावृत्ति न होने पाये इसके लिए प्रमुखता के आधार पर वास्तविक निस्तारण आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि तहसील दिवस की समाप्ति के बाद वे क्षेत्रों में हो रहे विकास कार्यों का निरीक्षण भी जाकर करें।

तहसील दिवस में डीआइजी श्री मुकेश शुक्ला, अपर जिलाधिकारी एस0एस0 श्रीवास्तव, आइ.ए.एस. प्रशिक्षु श्री योगेश कुमार, उप जिलाधिकारी श्याम लाल सिंह कुशवाहा सहित विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी गण उपस्थित रहे।

i d foKflr

गोरखपुर 05 जुलाई। जिलाधिकारी श्री संजय कुमार ने आज पूर्वान्ह में जिला चिकित्सालय का आकस्मिक निरीक्षण किया और साफ सफाई, चिकित्सकों/दवाओं की उपलब्धता के साथ ही मरीजों से मिलकर उनकी कुशल क्षेम पूछी।

इस अवसर पर जिलाधिकारी ने सफाई व्यवस्था पर विशेष बल देते हुए सीएमओ/सीएमएस को निर्देश दिये कि यह सुनिश्चित हो कि किसी भी मरीज को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए और दवाओं की उपलब्धता चिकित्सालय से ही करायी जाये। उन्होंने चिकित्सकों/स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देशित किया कि वे समय से अपनी उपस्थिति बनाये रखें। उन्होंने बताया कि इस तरह के आकस्मिक निरीक्षण का क्रम जारी रहेगा और अगले निरीक्षण में कही कोई कमी नहीं दिखनी चाहिए।

श्री संजय कुमार ने ओपीडी, इमरजेंसी वार्ड, ब्लडबैंक सहित विभिन्न वार्डों का विधिवत निरीक्षण करते हुए चिकित्सकों एवं दवाओं की उपलब्धता आदि के विषय में जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान सफाई व्यवस्था पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि इसमें सुधार लाने की आवश्यकता है।

I 01 0fu0 xkj [ki gj A

i d foKflr

गोरखपुर 06 जुलाई। शासन के निर्देशानुसार अम्बेडकर गांव के सभी लक्ष्य हर हाल में 30 नवम्बर तक पूर्ण कर लिए जायें और प्रति माह का निर्धारित प्रगति सुनिश्चित हो। इसके अतिरिक्त अम्बेडकर गांव का अनवरत निरीक्षण जारी रखते हुए निर्माण कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाये।

प्रभारी मंडलायुक्त श्री संजय कुमार ने यह निर्देश आयुक्त सभागार में आयोजित मंडलीय विकास कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक करते हुए अधिकारियों को दिये। इस अवसर पर उन्होंने चिकित्सा विभाग की समीक्षा के दौरान अस्पतालों की साफ सफाई पर विशेष बल देते हुए कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के अस्पतालों का अधिकारी गण निरीक्षण कर दवाओं की उपलब्धता, चिकित्सकों की उपस्थिति आदि को देखें और पर्याप्त मात्रा में समूचित सुविधाएं उपलब्ध करायें ताकि बाढ़ के दौरान किसी तरह की कोई असुविधा न होने पाये क्योंकि इस दौरान संक्रामक रोगों के फैलने की प्रबल संभावनाएं बनी रहती हैं।

श्री संजय कुमार ने कहा कि शासन के निर्देश हैं कि माह में कम से कम दो बार जिलाधिकारी गण जिला चिकित्सालयों का आकस्मिक निरीक्षण करें। बताया गया कि महाराजगंज जनपद में महिला चिकित्सक की नितान्त आवश्यकता है। प्रभारी मंडलायुक्त ने अपर निदेशक स्वास्थ्य को इस संबंध में तत्काल प्रभाव से आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये। यह भी बताया गया कि जेई के इलाज हेतु सभी जिला अस्पतालों में व्यवस्थाएं की गयी हैं जिसके तहत महाराजगंज जनपद को छोड़कर सभी जनपदों में कार्यवाही की जा रही है। महाराजगंज जनपद के पी0एच0सी0 के केसेज सीधे जिला चिकित्सालय को रिफर न करके मेडिकल कालेज रिफर किये जाते हैं। प्रभारी मंडलायुक्त ने कहा कि जब जिला चिकित्सालय में यह व्यवस्था है तो

सीधे मेडिकल कालेज भेजना न्याय संगत नहीं है, इसपर आवश्यक कार्यवाही किया जाये।

इसके अतिरिक्त श्री कुमार ने अपर निदेशक स्वास्थ्य को यह भी निर्देश दिये कि यह सुनिश्चित हो कि दवाएं बाहर से मरीजों से कदापि न खरीदवायें क्योंकि जब शासन द्वारा दवाओं के क्रय की व्यवस्था हेतु धन मुहैया कराया जा रहा है तो ऐसी कार्यवाही कदापि न हो। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन मरीजों की बेड की चादर बदली जाये और सभी को तकिया उपलब्ध हो। उन्होंने बाथरूम/वार्ड की सफाई पर विशेष जोर देते हुए कहा कि गंदगी से बीमारियां बढ़ेंगी। उन्होंने बर्न वार्ड को वातानुकूलित करने के निर्देश देते हुए कहा कि चिकित्सक/स्वास्थ्य कर्मी अपने कक्ष में समय से बैठें ताकि मरीजों को इन्तेजार न करना पड़े। समीक्षा के दौरान पाया गया कि कुशीनगर आपरेशन का प्रतिशत सबसे कम है जबकि महाराजगंज में 50 प्रतिशत है।

इस अवसर पर प्रभारी मंडलायुक्त ने अधिशासी अभियंता जलनिगम को निर्देश दिये कि मुंशी प्रेम चन्द पार्क वाली रोड पर जल निकासी की समूचित व्यवस्था हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करें क्योंकि बरसात में सड़क एवं अगल बगल के मकानों में पानी घुस जाता है। उन्होंने इसपर कल से ही कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए फल मंडी के पास कल्वल्ट बनाने का कार्य कल से ही प्रारम्भ करने के निर्देश दिये। उन्होंने यह भी कहा कि मिडडेमील की जांच जारी रखी जाये और यह सुनिश्चित हो कि सभी विद्यालयों में मीनू के अनुरूप यह व्यवस्था लागू रहे। उन्होंने कहा कि उप जिलाधिकारी गण विद्यालयों की चेकिंग के दौरान मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता हेतु स्वयं चखें और जहां कहीं भी बनते हुए न पाया जाये संबंधित के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज करायी जाये। उन्होंने अधीक्षण अभियंता विधुत को निर्देश दिये कि वे आंधी तूफान से टूटे तार व पोल को अविलम्ब ठीक करायें क्योंकि इससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।

2

बैंकर्स की समीक्षा के दौरान प्रभारी मंडलायुक्त ने कहा कि लाभार्थीपरक शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में बैंकर्स अपना भरपूर सहयोग दें तथा शून्य बैलेंस पर लाभार्थियों का खाता खोलें और शासकीय योजनाओं के लक्ष्य पूर्ण करने हेतु ऋण वितरण शिविर आयोजित किया जाये। उन्होंने कहा कि खाता खोलने में बैंकर्स कंजूसी न करें। उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी से कहा कि बैंकर्स से संबंधित सभी बिन्दुओं की अलग से समीक्षा बैठक कर लें।

श्री कुमार ने कहा कि खाद्यान्न वितरण व्यवस्था में गड़बड़ी न हो इसके लिए विलेज लेविल सतर्कता समिति गठित कर जांच करायें। उन्होंने यह भी कहा कि एक माह से अधिक कोई कोटे की दुकान सम्बद्ध नहीं होनी चाहिए क्योंकि उपभोक्ता को खाद्यान्न हेतु दूर जाना पड़ता है। उन्होंने यह भी कहा कि सम्बद्धता के 15 दिन के अन्दर ब्लाक से तिथि तय करके चयन की कार्यवाही प्रारम्भ कर दिया जाये। इसके अतिरिक्त निलंबित दुकानों को अधिक दिन लंबित न रखते हुए एक सप्ताह के अन्दर जांच कर निस्तारण की कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाये।

प्रभारी मंडलायुक्त ने 15 जुलाई तक छात्रवृत्ति के डाटा अपडेट करने की कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश देते हुए कहा कि पेंशन के मामलों में सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार शासन से धनराशि की मांग कर ली जाये। उन्होंने कहा कि अपात्रों का नाम सूची से हटाकर पात्रों को सम्मिलित किया जाये। बताया गया कि महाराजगंज से सत्यापन रिपोर्ट के अभाव में डिमांड शासन को नहीं भेजा गया है। श्री कुमार ने इसपर अविलम्ब कार्यवाही करने के निर्देश दिये। इसके अतिरिक्त उन्होंने वृक्षारोपण पर विशेष बल देते हुए कहा विभागवार लक्ष्य समय से पूरे कर लिए जायें। बताया गया कि वृक्षारोपण का कार्य प्रारम्भ है।

श्री कुमार ने अम्बेडकर गांव में सी0सी0 रोड, के0सी0 ड्रेन की गुणवत्ता पर बल देते हुए कहा कि जल निकासी की समूचित व्यवस्था होनी चाहिए। समीक्षा के दौरान पाया गया कि देवरिया में सी0सी0 रोड की भौतिक प्रगति काफी कम है, 44 किमी0 लक्ष्य के सापेक्ष 1.36 किमी0 ही पूर्ण हुआ है। मनरेगा के संबंध में प्रभारी मंडलायुक्त ने एम0आइ0एस0 फीडिंग के आधार पर ही बजट अवमुक्त होगा तथा प्राप्त बजट से 60 प्रतिशत से कम फीडिंग पर धन की मांग नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत अधिक से अधिक काम कराये जायें। स्वच्छ शौचालय में कुशीनगर की प्रगति खराब पायी गयी। अतिरिक्त कक्ष कक्षा निर्माण में कुशीनगर जनपद में कार्य प्रारम्भ न होने पर श्री कुमार ने कहा कि दो माह से धन की उपलब्धता के बावजूद कार्य का प्रारम्भ न होना बेहद आपत्तिजनक है। उन्होंने अविलम्ब कार्य प्रारम्भ करने के निर्देश दिये।

इस अवसर पर जिलाधिकारी कुशीनगर ज्ञान सिंह, देवरिया जुहेर बिन सगीर, महाराजगंज सुहाश एल0वाई0, आई0ए0एस0 प्रशिक्षु योगेश कुमार, मुख्य विकास अधिकारी गोरखपुर हीरा लाल, कुशीनगर अजय कुमार सिंह, देवरिया विजय प्रताप तथा महाराजगंज के सीडीओ के अतिरिक्त विभिन्न विभागों के मंडलीय अधिकारियों के साथ सहायक सूचना निदेशक हंसू राम उपस्थित रहे। बैठक का संचालन संयुक्त विकास आयुक्त बी0के0 मिश्र ने किया।

स0सू0नि0

गोरखपुर

id foKflr

गोरखपुर 08 जुलाई। जिलाधिकारी श्री संजय कुमार ने निर्देश दिये हैं कि उर्वरकों की काला बाजारी जमाखोरी एवं तस्करी पर कड़ी निगरानी रखी जाये। उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारियों/खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया है कि स्टॉक वितरण निर्धारित नीति के अन्तर्गत कराते हुए तस्करी/ब्लैक रोकने हेतु सभी कदम उठाये जायें।

श्री कुमार ने उर्वरक आवंटन के संबंध में जानकारी देते हुए बताया है कि एन0पी0 20:20:0:13 को सहकारी समितियों हेतु 930.00 मी0टन पीसीएफ 50 मी0ट0 यू0पी0 स्टेट एग्रो 40 मी0टन आइएफएफबीसी 100 मी0टन इस प्रकार कुल 1120 मी0टन का आवंटन किया गया है। उन्होंने आवंटित संस्थाओं को निर्देश दिये हैं कि वे स्टॉक का प्रेषक रिक से तत्काल कराना सुनिश्चित करें और सहकारी समितियों/संस्थाओं एवं आईएफएफबीसी सेंटर्स के पास स्टॉक रजिस्टर वितरण रजिस्टर कैश मेमो स्टॉक बोर्ड/रेट बोर्ड प्रतिष्ठान पर प्रत्येक दिन रखना व उनपर अंकन करना आवश्यक होगा।

जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिये हैं कि कृषकों पहचान विवरण जैसे चेक, राशन कार्ड, जोत बही, निर्वाचन पहचान पत्र, बैंक पासबुक अथवा इसी प्रकार के अन्य अभिलेखों के आधार पर उर्वरकों का वितरण किया जाये। उन्होंने कहा है कि संबंधित क्षेत्रीय कर्मचारियों को आवंटित उर्वरक एवं उर्वरक विक्रय मूल्य की सूची प्राप्त कराकर सत्यापन कराया जाये। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा है कि वे निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित हो। किसी सहकारी समिति/संस्था द्वारा उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन न करने पर उनके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाये।

स0सू0नि0

गोरखपुर

id fokflr

गोरखपुर 09 जुलाई। जिलाधिकारी श्री संजय कुमार ने निर्देश दिये हैं कि जल निकासी और सफाई व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखते हुए पंपिंग स्टेशनों को ठीक स्थिति में रखी जाये तथा पंपिंग स्टेशन पर आपरेटर का नाम एवं उसका मोबाइल नम्बर अंकित किया जाये ताकि उससे सीधे स्थितियों की जानकारी हेतु संवाद स्थापित हो सके। इसके अतिरिक्त नालियों से निकाले गये मलवे को तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाये और यदि प्रइवेट व्यक्ति द्वारा कुड़ा कचरा नाली के पास या नाली में डाला जाता है तो उसे नोटिस देते हुए उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। क्योंकि कचरों से नाली जाम होगी और जल जमाव की स्थिति उत्पन्न होगी जो बेहद हानिकारक सिद्ध होगा। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिये कि गुणवत्तायुक्त मानक के अनुरूप यदि नाला निर्माण/सड़क निर्माण न कराया गया है तो जांचोपरान्त संबंधित एजेंसी से धन की रिकवरी कराते हुए उसके विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज करायी जाये। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं हो सकता है।

यह निर्देश जिलाधिकारी ने आज महा नगर के लगभग दर्जनों वार्डों में जल जमाव वाले क्षेत्रों के निरीक्षण के दौरान नगर निगम के अधिकारियों को दिये। इस मौके पर उन्होंने जल जमाव के कारणों और उससे बचाव के उपायों पर विस्तृत चर्चा की और जल जमाव से निपटने के लिए आवश्यक निर्देश दिये। उन्होंने इन क्षेत्रों के स्थानीय जनों से वार्ता कर उनकी समस्याएं सुनी तथा उसके निराकरण हेतु संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिये।

श्री कुमार ने हावर्ट बंधे पर ट्रांसपोर्ट नगर के पास के रेगूलेटर एवं पंपिंग हाउस हांसूपुर के रेगूलेटर नं0 9 घसियारी के रेगूलेटर नं0 8 नरकटिया के रेगूलेटर नं0 7 मिलापुर के रेगूलेटर नं0 6 घसियाना टोला के रेगूलेटर नं0 3 तथा इलाही बाग डोमिनगढ़ धर्मशाला एवं रसूलपुर में जाकर विधिवत निरीक्षण किया तथा स्थानीय जनों से उनकी समस्याओं से रूबरू हुए। इस मौके पर उपस्थित उप नगर आयुक्त ने बताया कि महा नगर में 70 रेगूलेटर लगाये गये हैं जो सभी ठीक हालत में कार्यरत हैं।

जिलाधिकारी ने ट्रांसपोर्ट नगर के पास निरीक्षण के दौरान पाया कि सड़क की स्थिति ठीक नहीं है उन्होंने सिंचाई विभाग को निर्देश दिये कि तत्काल प्रभाव से सड़क की मरम्मत करा दें तथा संबंधित अधिकारी रेगूलेटर का लेवल ठीक कराये वरना संबंधित एजेंसी व्यय धन की रिकवरी करायी जाये। हांसूपुर में निरीक्षण के दौरान श्री कुमार ने पंपिंग स्टेशन के शेड को ठीक कराने के निर्देश दिये ताकि बरसात में उपर से पानी अन्दर न आये। मौके पर बगल का नाला टूटा हुआ पाया गया। जिलाधिकारी ने इसे अति गंभीरता से लेते हुए निर्माण प्रभारी को 10 दिन के अन्दर ठीक कराने के निर्देश देते हुए उप नगर आयुक्त को निर्देश दिये कि इसकी जांच कराकर संबंधित के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज करायी जाये।

रेगूलेटर नं0 8 घसियारी के निरीक्षण के दौरान पंपिंग स्टेशन के पास गंदगी एवं कूड़ा कचरा पाये जाने पर श्री कुमार ने मौके पर उपस्थित संबंधित अधिकारी को फटकार लगाते हुए कहा कि तत्काल प्रभाव से निकाले गये मलवे को हटवा दिया जाये और तीन दिन के अन्दर सड़क की मरम्मत करा दिया जाये। उन्होंने यह भी कहा कि यदि अगल बगल के लोगों द्वारा नाली के पास कूड़ा करकट रखा जाता है तो उन्हें नोटिस देते हुए उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाये। उन्होंने महा नगरवासियों से कहा कि वे नाली/नाले में कूड़ा कचरा न डालें तथा प्लास्टिक का प्रयोग कतई न किया जाये क्योंकि इससे नाली के जाम होने के फलस्वरूप जल जमाव की स्थिति उत्पन्न होगी जिससे अनेकानेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। रसूलपुर के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने स्थानीय जनों की समस्याओं से रूबरू होते हुए उन्होंने नगर निगम को निर्देश दिये कि शुद्ध पेयजल हेतु इंडिया मार्की हैण्डपम्प आवश्यक स्थलों पर लगवाये तथा पानी की गुणवत्ता की जांच भी कराएँ और यहां जल निकासी की समूचित व्यवस्था भी की जाये।

निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी नगर कृष्णदेव तिवारी, नगर मजिस्ट्रेट जे0पी0 सिंह, उप जिलाधिकारी सदर घनश्याम, उप नगर आयुक्त के0एस अवस्थी के साथ संरक्षक सूचना अंजनी कुमार मिश्र अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 गुप्ता सहित विभिन्न संबंधित अधिकारी गण उपस्थित रहे।

स0सू0नि0

गोरखपुर।

id fokflr

गोरखपुर 11 जुलाई। जनसंख्या वृद्धि समाज के विकास में बाधक होती है तथा कुप्रभाव बढ़ता है। समाज को बचाने एवं आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखने हेतु

जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना अति आवश्यक है। **Nk\k i fjokj & l Ei wkl fodkl ** के सिद्धान्त को चरितार्थ किया जाये।

उक्त उदगार जिलाधिकारी श्री संजय कुमार ने आज जिला चिकित्सालय के क्षेत्रीय निदान केन्द्र में आयोजित "जनसंख्या दिवस" के अवसर पर व्यक्त किये तथा हरी झण्डी दिखाकर रैली को रवाना किया। इस अवसर पर जिला अस्पताल में पुरुष नसबंदी शिविर का भी आयोजन किया गया जिसमें लगभग 45 लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन किया गया तथा बढ़ती जनसंख्या के भयावह स्थिति को जन जन तक पहुंचाने हेतु एक जादू शो एवं नुक्कड़ नाटक भी आयोजित हुआ। रैली चिकित्सालय परिसर से प्रारम्भ होकर घोषकम्पनी चौराहे से शास्त्री चौक होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय के सामने से गुजरते हुए पुनः क्षेत्रीय निदान परिसर में समाप्त हुआ।

श्री कुमार ने पखवाड़े के मुख्य उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जन साधारण में जनसंख्या स्थिरता से संबंधित कार्यक्रमों की प्रति जागरूकता लाना तथा परिवार कल्याण कार्यक्रम पर ध्यान केन्द्रित किया जाना है।

इस अवसर पर मुख्य चिकित्साधिकारी डा० आर०ण्ण० मिश्र ने जिलाधिकारी का स्वागत करते हुए बताया कि आज 11 जुलाई से 24 जुलाई तक "जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा मनाया जाना है। भारत सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इस वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा के रूप में जिला एवं विकास खण्ड स्तर पर मनाया जायेगा।

इस अवसर पर प्रमुख चिकित्साधीक्षक डा० दिवाकर प्रसाद, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डा० जेपी सिंह, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी ओपीजी राव, जिला फायलेरिया अधिकारी डा० सुदेश कुमार के साथ स्वास्थ्य कर्मी मनीष त्रिपाठी, एवं आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री आदि उपस्थित थे।

i d foKflr

गोरखपुर 12 जुलाई। जिलाधिकारी श्री संजय कुमार आज कांशीराम शहरी गरीब आवास के निरीक्षण के दौरान सफाई व्यवस्था एवं पेयजल आपूर्ति की संतोषजनक स्थिति न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सफाई निरीक्षक एवं सहायक अभियंता जीडीए को फटकार लगाई और उनके विरुद्ध कार्यवाही का निर्देश दिया।

जिलाधिकारी ने वहां रह रहे लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना तथा मौके को देखा। बताया गया कि यहां सफाई व्यवस्था हेतु 4 सफाई कर्मी लगाये गये हैं। श्री कुमार ने कहा कि सफाई कर्मियों की संख्या बढ़ाकर 15 करते हुए अनवरत सफाई जारी रखा जाये, कहीं पर भी गंदगी नहीं दिखनी चाहिए, इसके

अतिरिक्त शुद्ध पेयजल हेतु कम से कम 21 हैण्डपम्प लगायें जाये ताकि प्रत्येक ब्लॉक में एक एक हैण्डपम्प उपलब्ध हो और डस्टपिन की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाये ताकि कुड़ा उसमें वहा के रहने वाले रख सकें। उन्होंने नालियों को कवर्ड करने के भी निर्देश दिये।

बताया गया कि यहां 1500 आवास बनाये गये हैं जिसे 21 ब्लॉक में विभक्त किया गया है। जिलाधिकारी ने ब्लॉक का नाम एवं आवास संख्या लिखवाने के साथ ही कहा कि आवास के सभी पट्टियों पर स्वास्थ्य, स्वच्छता का स्लोगन भी लिखवाया जाये इसके अतिरिक्त उन्होंने मुख्य गेट के निर्माण कराने के निर्देश उपाध्यक्ष जीडीए को देते हुए कहा कि सी0सी0 रोड की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाये। अगर कार्य की गुणवत्ता खराब पायी जाती है तो इसकी जांच कराकर संबंधित के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज करायी जाये।

जिलाधिकारी ने नगर मजिस्ट्रेट को निर्देश दिये कि वे यहां के निर्माण कार्यों अन्य योजनाओं का सर्वे कराते हुए यह भी सुनिश्चित करें कि आवंटी अपने आवास में रह रहे हैं या नहीं। यदि वे अपने आवंटित आवास में रहते हुए न पाये जायें तो उनका आवंटन निरस्त कर अन्य पात्र लाभार्थी को आवंटित किया जाये। इसके अतिरिक्त निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच कराने के साथ ही संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही भी सुनिश्चित हो। उन्होंने उपाध्यक्ष जीडीए को यह भी निर्देश दिये कि यहां निरन्तर एक कर्मी की तैनाती की जाये तथा वह एक रजिस्टर में प्रतिदिन की समस्याओं को अंकित करते हुए संबंधित अधिकारी को अवगत कराये ताकि समस्याओं का त्वरित निदान किया जाये।

इसके अतिरिक्त श्री कुमार ने परिसर में प्रस्तावित उप स्वास्थ्य केन्द्र, आंगनवाड़ी केन्द्र तथा प्राथमिक विद्यालय के निर्माण की कार्यवाही यथाशीघ्र कराने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता विधुत को निर्देश दिये कि वे ढीले तारों को ठीक करा दें। उन्होंने कहा कि रख रखाव की बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने नालों/नालियों को कवर्ड करने के भी निर्देश दिये। यह भी बताया गया कि यहां ओवरहेड टैंक 28 फरवरी तक तैयार हो जायेगा। उन्होंने आवासों के बीच के रास्ते का इंटरलाकिंग एक सप्ताह के अन्दर पूर्ण कराने के निर्देश दिये।

इस अवसर पर जिलाधिकारी ने आवास परिसर में वृक्षारोपण करते हुए कहा कि खाली जमीनों में अधिकाधिक वृक्षारोपण कराया जाये तथा उसकी वाउंडरी भी करायी जाये ताकि यह जगह एक नये लुक के साथ हरा भरा दिखे। उन्होंने उपाध्यक्ष जीडीए को यह भी निर्देश दिये कि यहां विधुत आरईएस जीडीए नगर निगम के अभियंता संयुक्त रूप से 15 दिन तक कैम्प कर यहां की समस्याओं निदान करें। उन्होंने सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस चौकी स्थापित करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये।

जिलाधिकारी के निरीक्षण के दौरान उपाध्यक्ष जीडीए सोमनाथ बिन्द, नगर मजिस्ट्रेट जे0पी0 सिंह, नगर आयुक्त सूर्यलाल सिंह, अधिशासी अभियंता जलनिगम उपाध्याय, संरक्षक सूचना अंजनी कुमार मिश्र, जिला पूर्ति अधिकारी कमल नयन सिंह अधिशासी अभियंता विधुत जयराम चौरसिया के अतिरिक्त स्वास्थ्य, आइसीडीएस, आदि

विभागों के अधिकारी गण उपस्थित रहे।
स०सू०नि० गोरखपुर

i d foKflr

गोरखपुर 12 जुलाई। जिलाधिकारी श्री संजय कुमार ने कैंपियरगंज तहसील के बंधो का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने करमैनी घाट, रिगौली ग्राम सभा के बहोलिया, मिरहिरिया तथा गेरुई कटान बिन्दुओं को देखा।

इस अवसर पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि बंधों के मरम्मत कार्य अति शीघ्र पूरा कर लिया जाये और जहां कहीं भी रेनकट/रैटहोल पाये जायें तत्काल प्रभाव से ठीक करा दिया जाये। उन्होंने यह भी कहा कि सिंचाई/बाढ़ के अभियंता अपने क्षेत्रों में निरन्तर बने रहें और बाढ़ बचाव सामग्रियों की पर्याप्त व्यवस्था बनाये रखी जाये। कटान स्थलों पर निरन्तर निगरानी बनाये रखें।

श्री कुमार ने कहा कि बंधों पर पेट्रोलिंग जारी रखी जाये और वायरलेस सेट ठीक रखें जाये तथा बाढ़ चौकियों को सक्रिय रखा जाये। उन्होंने उप जिलाधिकारी को निर्देश दिये कि वे बंधों पर सतत निगरानी बनाये रखें। श्री कुमार ने स्पष्ट कहा कि किसी भी स्थित में बंधा कटने न पाये। इसके लिए युद्ध स्तर पर लगकर मरम्मत कार्य को कर लिया जाये। जिलाधिकारी स्वयं निगरानी बनाये हुए है। उन्होंने कहा कि आकस्मिक निरीक्षणों का क्रम जारी रहेगा।

जिलाधिकारी के निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी वी/रा० जीतेन्द्र कुमार, उप जिलाधिकारी मनोज कुमार, पुलिस निरीक्षक कैंपियरगंज सहित विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी एवं स्थानीय जन उपस्थित रहे।

स०सू०नि०

गोरखपुर

i d foKflr

गोरखपुर 12 जुलाई। जिलाधिकारी श्री संजय कुमार ने कैंपियरगंज तहसील के बंधो का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने करमैनी घाट, रिगौली ग्राम सभा के बहोलिया, मिरहिरिया तथा गेरुई कटान बिन्दुओं को देखा।

इस अवसर पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि बंधों के मरम्मत कार्य अति शीघ्र पूरा कर लिया जाये और जहां कहीं भी रेनकट/रैटहोल पाये जायें तत्काल प्रभाव से ठीक करा दिया जाये। उन्होंने यह भी कहा कि सिंचाई/बाढ़ के अभियंता अपने क्षेत्रों में निरन्तर बने रहें और बाढ़ बचाव सामग्रियों की पर्याप्त व्यवस्था बनाये रखी जाये। कटान स्थलों पर निरन्तर निगरानी बनाये रखें।

श्री कुमार ने कहा कि बंधों पर पेट्रोलिंग जारी रखी जाये और वायरलेस सेट ठीक रखें जाये तथा बाढ़ चौकियों को सक्रिय रखा जाये। उन्होंने उप जिलाधिकारी को निर्देश दिये कि वे बंधों पर सतत निगरानी बनाये रखें। श्री कुमार ने स्पष्ट कहा कि

किसी भी स्थित में बंधा कटने न पाये। इसके लिए युद्ध स्तर पर लगकर मरम्मत कार्य को कर लिया जाये। जिलाधिकारी स्वयं निगरानी बनाये हुए है। उन्होंने कहा कि आकस्मिक निरीक्षणों का क्रम जारी रहेगा।

जिलाधिकारी के निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी वी/रा0 जीतेन्द्र कुमार, उप जिलाधिकारी मनोज कुमार, पुलिस निरीक्षक कैपियरगंज सहित विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी एवं स्थानीय जन उपस्थित रहे।

स0सू0नि0

गोरखपुर

foKflr

गोरखपुर 12 जुलाई। महानगर को साफ सुथरा बनाने के उद्देश्य से पूरे शहर के 70 वार्डों में एक साथ 13, 14 व 15 जुलाई को विशेष अभियान चलाने का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम जिलाधिकारी श्री संजय कुमार ने बनाया है जिसकी व्यवस्था की देख रेख हेतु 70 मंडल एवं जिला स्तरीय अधिकारियों को लगाया गया है।

आज विकास भवन स्थित सभागार में अभियान की सफलता हेतु लगाये गये प्रभारी अधिकारियों के साथ बैठक में श्री कुमार ने कहा कि विगत दिनों शहर की सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के समय उन्हें यह महसूस हुआ कि महानगर की सफाई व्यवस्था चुस्त दुरुस्त किये जाने की आवश्यकता है, जिसके मद्देनजर तीन दिवसीय विशेष सफाई अभियान चलाये जाने का निर्णय लिया गया है।

उन्होंने बताया कि इसके लिए 70 अधिकारियों के साथ उनके सहयोग के लिए एक नगर निगम का अधिकारी/सफाई निरीक्षक तथा एक अन्य अधिकारी को लगाया गया है। उन्होंने बताया कि प्रभारी अधिकारी गण निरीक्षण के बाद प्रतिदिन सांयकाल अपनी रिपोर्ट देंगे। उन्होंने कहा कि वे सफाई व्यवस्था के साथ साथ अन्य सुझाव जैसे नालियों की मरम्मत, अवैध अतिक्रमण, नजूल आदि की भूमि पर अवैध कब्जा, मार्ग प्रकाश व्यवस्था की आवश्यकता आदि से संबंधित सुझाव भी देंगे। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण सुझावों को देखने के बाद उसपर एक योजना तैयार कर उसे अमली जामा पहनाया जायेगा।

जिलाधिकारी ने कहा कि अपने आप में यह एक अभिनव प्रयोग है तथा इससे महानगर की सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी तथा गंदगी से निजात मिलेगी। उन्होने कहा कि बरसात के दिनों में गंदगी के कारण कई संक्रामक रोगों के फैलने की आशंका बनी रहती है। इस संबंध में मिले सुझावों के बाद वहां फागिंग आदि की व्यवस्था की जायेगी।

बैठक में नगर आयुक्त सूर्य लाल सिंह, सीडीओ हीरा लाल, मुख्य राजस्व अधिकारी कृष्ण कुमार गुप्ता, अपर जिलाधिकारी प्रशासन एस0एस0 श्रीवास्तव सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

स0सू0नि0

गोरखपुर

i d foKflr

गोरखपुर 13 जुलाई। जिलाधिकारी श्री संजय कुमार द्वारा निरन्तर क्षेत्रीय भ्रमण कर तथा जन संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं की जानकारी प्राप्त कर उसका निराकरण किया जा रहा है। इसी क्रम में श्री कुमार ने आज जनपद के तहसील सहजनवा एवं दक्षिणान्चल स्थित गोला एवं बांसगांव तहसील के बंधों का आकस्मिक निरीक्षण कर बाढ़ बचाव कार्यों की जानकारी प्राप्त की, जिसके अन्तर्गत उन्होंने बोक्टा-बरवार बंधे के किमी0 7.5 बरहुआ, कोटा-रकहट बांध के किमी0 02, नेवादा के किमी0 4.180 से 4.700, रकहट के किमी0 7.600 से किमी0 8.100 तथा असवनपार, पुरे, मझवलिया कटान स्थलों का विधिवत निरीक्षण किया।

इस अवसर पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि संवेदनशील एवं अति संवेदनशील स्थलों पर सतत निगरानी बनाये रखी जाये तथा बंधों पर 24 घंटे मानीटरिंग होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय अभियंता मौके पर निरन्तर बने रहे तथा अपने क्षेत्रों में ही निवास करें। उन्होंने यह भी कहा कि चौकियों पर तैनात अभियंताओं/कर्मियों के नाम एवं मोबाइल न0 अंकित किये जायें ताकि उनसे सीधे संवाद स्थापित हो सके। उन्होंने संबंधित उप जिलाधिकारियों से भी कहा है कि वे निरन्तर चक्रमण करते हुए बंधों की स्थिति की जानकारी रखें तथा सतत निगरानी बनाये रखें।

श्री कुमार ने यह भी कहा कि दिन या रात किसी भी समय उनके द्वारा बंधों का आकस्मिक निरीक्षण किया जा सकता है और मौके पर कमी पाये जाने या अनुपस्थित पाये जाने पर संबंधित के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। उन्होंने कहा कि मौके पर बाढ़ बचाव सामग्रियां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने चाहिए। इसके अतिरिक्त बंधों पर रेनकट और रैटहोल को अविलम्ब ठीक करा दिया जाये।

बोक्टा बरवार बंधे के किमी0 7.5 पर स्थित बरहुआ कटान स्थल के निरीक्षण के दौरान बताया गया कि इसके लिए परमानेंट स्कीम स्वीकृत है, केन्द्रीय योजना में फंडिंग के लिए प्रस्ताव भेजा जा चुका है, धन मिलते ही स्थायी समाधान करा दिया जायेगा, फिलहाल टेम्परेरी प्रोडक्शन के काम किये जा रहे हैं। मौके पर मरम्मत कार्य पूरे जोर के साथ किया जा रहा था, मौके पर बम्बू कट, बालू की बोरियों आदि से कार्य चल रहा था। जिलाधिकारी ने कहा कि पूरे मनोयोग के साथ कार्य सम्पन्न कराये जायें कहीं भी बंधा कटना नहीं चाहिए। इसी प्रकार अन्य कटान बिन्दुओं पर भी कार्य जारी रहा। श्री कुमार ने स्थानीय जनों से वार्ता कर स्थितियों की वास्तविकता की जानकारी प्राप्त की। कार्य के प्रति स्थानीय जनों द्वारा संतोष व्यक्त किया गया।

इसके पूर्व जिलाधिकारी ने महानगर में चल रहे तीन दिवसीय वृहद सफाई अभियान का भी आकस्मिक निरीक्षण किया जिसके अन्तर्गत उन्होंने सिविल लाइन्स का भ्रमण कर साफ सफाई व्यवस्था को देखा तथा असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि नालियों की सफाई कर यह सुनिश्चित हो कि कहीं जल जमाव की स्थिति न उत्पन्न हो पाये। उन्होंने यह भी कहा कि नालियों के कचरे/कूड़ा को तत्काल प्रभाव हटाकर निर्धारित स्थल पर रखा जाये। इसके अतिरिक्त फागिंग कराने के भी निर्देश देते हुए उन्होंने स्थानीय लोगों से कहा कि वे नालियों में पालीथीन एवं कूड़ा न डालें, इससे

नाली जाम होगी और उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने साफ सफाई में जन सहयोग की अपेक्षा करते हुए कहा कि कार्य की सफलता जन सहयोग के बिना संभव नहीं है।

राजकीय कालोनी सिविल लाइन्स के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी प्रशासन को निर्देश दिये कि अवैध कब्जेदारों को हटवाया जाये। उन्होंने जल निकासी की समूचित व्यवस्था एवं शुद्ध पेयजल की उपलब्धता पर विशेष बल दिया। इसके अतिरिक्त श्री कुमार ने दाउदपुर का भी आकस्मिक निरीक्षण निर्माणाधीन जनता भारती रोड को शीघ्र तैयार कराने के निर्देश देते हुए उसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने बताया कि साफ सफाई व्यवस्था की निगरानी हेतु प्रभारी अधिकारियों की तैनाती की गयी है जो जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रतिदिन प्रस्तुत करेंगे।

जिलाधिकारी के निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी एस0एस0 श्रीवास्तव, नगर मजिस्ट्रेट जी0पी0 सिंह, उप जिलाधिकारी बासगांव/गोला, अधिशासी अभियंता बाढ़ खण्ड एसएन शर्मा, संरक्षक सूचना अंजनी कुमार मिश्र सहित अन्य संबंधित अधिकारी गण उपस्थित रहे।

स0सू0नि0

गोरखपुर।

i d foKflr

गोरखपुर 14 जुलाई। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से जनपद के दो दुर्बल वर्ग के व्यक्तियों को अनुदान के रूप में 15-15 हजार रुपये की धनराशि स्वीकृत किया गया है।

उक्त धनराशि ग्राम संग्रामपुर उनवल के लाल जी मौर्य एवं संग्रामपुर के ही भोला पुत्र ऐढी को दिया जाना है। जिलाधिकारी संजय कुमार को दोनों व्यक्तियों की अनुदान राशि का ड्राफ्ट प्राप्त हो गया है जिसे औपचारिकता पूर्ण कर शीघ्र ही प्रदान कर दिया जायेगा।

i d foKflr

गोरखपुर 14 जुलाई। जिलाधिकारी संजय कुमार तहसील सदर क्षेत्र के दो स्वतंत्रता संग्राम के आश्रित को प्रमाण पत्र जारी किया है। तहसीलदार सदर के आख्या के आधार पर स्व0 रमाशंकर शाही निवासी रायगंज दक्षिणी, सदर तहसील के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित आशीष कुमार शाही पुत्र राकेश शाही पौत्र स्व0 रमाशंकर शाही को अधिनियम 1993 के प्राविधानों के अनुसार (आश्रित) आशीष कुमार को तथा स्व0 नरसिंह दूबे निवासी ग्राम जंगल तहसील सदर के (आश्रित) बट्टी विशाल पुत्र मधुसूदन दूबे पौत्र स्व0 नरसिंह दूबे को प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

i d foKflr

गोरखपुर 14 जुलाई। शबेबरात का पर्व चन्द्र दर्शन के अनुसार 17 जुलाई को मुस्लिम संप्रदाय द्वारा मनाये जाने की संभावना है। यह जानकारी देते हुए जिला मजिस्ट्रेट श्री संजय कुमार ने अधिशासी अभियंता विधुत को निर्देश दिये हैं कि इस अवसर पर विधुत आपूर्ति बनाये रखना आवश्यक है तथा स्थानीय स्तर पर ब्रेक डाउन

न हो इसका उपाय किया जाना होगा। उन्होंने इस अवसर पर निर्वाध रूप से विधुत आपूर्ति बनाये रखने को कहा है। उन्होंने इस संबंध में उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0 को भी शबेबरात पर्व के अवसर पर निरन्तर रूप से विधुत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु पत्र भेजा है।

इसके अतिरिक्त श्री कुमार ने सीएमओ, सीएमएस को भी निर्देशित किया है कि इस अवसर पर चिकित्सालयों के आकस्मिक कक्ष में कुशल चिकित्सकों की टीम तैनात वहां आवश्यकता अनुसार जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाये ताकि जरूरत पडने पर समय से समूचित उपचार हो सके।

जिलाधिकारी ने नगर आयुक्त को भी निर्देशित किया है कि इस पर्व के अवसर पर महा नगर क्षेत्र के मस्जिदों मजार एवं कब्रिस्तान के आस पास समूचित सफाई तांगी चूने आदि का छिड़काव कराने के साथ साथ महत्वपूर्ण पर पेयजल टैंकर की भी व्यवस्था सुनिश्चित करायें।

इसके अतिरिक्त श्री कुमार ने पुलिस उप महा निरीक्षक से कहा है कि पर्व को सकुशल, शांतिपूर्ण एवं सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने हेतु पर्याप्त पुलिस फोर्स तैनात करने हेतु अने अधिनस्थ अधिकारियों को निर्देशित की जाये, क्योंकि इस अवसर पर मजारों पर श्रद्धालुओं की अधिक भीड़ होती है अतएव वहां पर सतर्कता आवश्यक है।

id foKflr

गोरखपुर 15 जुलाई। जनसंख्या वृद्धि एक वृहद समस्या है और जनसंख्य नियंत्रण के प्रति जन जागरूकता आवश्यक है। जन संख्या वृद्धि विकास में बाधक है इसलिए "छोटा परिवार-स्वस्थ विकास" के सिद्धान्त को अपनाना होगा तभी व्यक्ति के विकास के साथ साथ देश का विकास होगा। जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण अशिक्षा एवं अज्ञानता है। यदि जनसंख्या वृद्धि दर में रूकावट नहीं होगा तो स्थिति दूभर होगी।

जिलाधिकारी श्री संजय कुमार ने विकास भवन सभागार में आयोजित जनसंख्या स्थिरता पखवाडा से संबंधित जनपद स्तरीय कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए यह विचार व्यक्त किये। इस अवसर पर उन्होंने अपने सम्बोधन में आगे कहा कि जनसंख्या वृद्धि से रोजगार के अवसर घअ रहे हैं तथा बेरोजगारी में बढ़ोतरी हो रही है। जनसंख्या नियंत्रण से ही समग्र विकास संभव है। उन्होंने कहा कि इसी तरह का कार्यशाला ब्लाक स्तर पर भी आयोजित किया जाये और जनता को बताया जाये कि छोटा परिवार से अपने हित के साथ साथ देश के हित में है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण स्तर पर जो भी बैठकें आयोजित हों उसमें परिवार नियोजन पर विस्तृत प्रकाश डाला जाये।

श्री कुमार ने कहा कि हम सभी को सोचना होगा कि हमारी कार्य प्रणाली शैली के आधार पर ही अगला व्यक्ति आचरण करेगा इसलिए हम सबको अच्छी कार्यशैली प्रदर्शित करने चाहिए। छोटे छोटे प्रयासों से अच्छे परिणाम सामने आते हैं। उन्होंने चिकित्सकों से कहा कि वे मरीजों के प्रति संवेदनशीलता के आधार पर समय से

उनका इलाज करें क्योंकि उनपर एक चिकित्सक के अलावा प्रशासनिक दायित्व भी है। उन्होंने जनख्या के नियंत्रण के प्रति व्यापक प्रचार प्रसार पर बल दिया।

इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि चिकित्सकीय व्यवस्था बेहतर बनाई जाये, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाये तथा समय से चिकित्सक अपनी डियूटी पर तैनात रहें और मरीजों को बाहर की दवाएं कतई न लिखी जाये। इसके अतिरिक्त निष्क्रिय आशाओं को चिन्हित कर उन्हें हटाते हुए सक्रिय आशाओं का चयन किया जाये। श्री कुमार ने मुख्य चिकित्साधिकारी से कहा कि जननी सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों की सूची उपलब्ध कराये ताकि उसका सत्यापन कराया जा सके। उन्होंने चिकित्सकों से कहा कि बेहतर काम करके अच्छे परिणाम लायें। अगर कोई समस्या हो तो उससे अवगत कराया जाये ताकि उसका त्वरित निदान किया जा सके। उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी से कहा कि जिन स्वास्थ्य उप केन्द्रों का निर्माण पूरा हो गया हो उसे क्रियाशील करते हुए अधूरे निर्माण को अति शीघ्र पूर्ण कराये जायें।

इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011-12 में विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जनपद स्तरीय संवेदीकरण कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि मेडिकल टीम विद्यालयों में जाकर बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण सुचारु रूप से करें तथा दृष्टि दोष से पीड़ित बच्चों को निशुल्क चश्मा वितरण भी करें। बताया गया कि यह कार्यक्रम वर्ष 2008-09 से संचालित है इसके तहत हर ब्लॉक से प्रत्येक विद्यालय के दो दो शिक्षकों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

जिलाधिकारी ने कहा कि कार्यक्रम की सफलता आपसी समन्वय आवश्यक है इसलिए जब भी मेडिकल टीम विद्यालयों में स्वास्थ्य परीक्षण हेतु जाये तो इसका प्रचार प्रसार कराया जाये तथा सभी विद्यालयों पर एबीएसए अथवा उनके अधीनस्थ अधिकारी अवश्य उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त उप जिलाधिकारी गण भी किसी न किसी विद्यालय में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। उन्होंने ग्राम स्तरीय स्वच्छता कार्यक्रमों के आयोजन पर बल देते हुए कहा कि सम्पर्क से लोगों में विश्वास बढ़ेगा और लोगों से नई चीज सीखने को मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि स्वच्छता एवं साफ सफाई पर भी जानकारी बच्चों में दी जाये।

जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में आगे कहा कि शिक्षकों/छात्रों की शत प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित हो और यह देखा जाये कि स्वास्थ्य परीक्षण से कोइ बच्चा छूटने न पाये। शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने पर बल देते हुए श्री कुमार ने कड़े लहजे में कहा कि कोई भी विद्यालय बन्द नहीं होने चाहिए। एबीएसए निरन्तर निगरानी रखें और यह देखा जाये कि मध्याह्न भोजन अवश्य बनने चाहिए। उन्होंने विद्यालय की वाउंडरीवाल के अन्दर वृक्षारोपण के निर्देश देते हुए कहा कि विद्यालय का हैण्डपम्प खराब नहीं होना चाहिए। निरीक्षण के दौरान यदि हैण्डपम्प खराब पाया गया तो जिम्मेदारी संबंधित एबीएसए/प्राचार्य की होगी। शौचालय प्रयोग पर बल देते हुए उन्होंने उसकी स्वच्छता पर जोर दिया।

श्री कुमार ने स्पष्ट कहा कि जो भी शिक्षक शिक्षा कार्य में रुचि नहीं लेता है ऐसे शिक्षकों की सूची उपलब्ध करायी जाये ताकि उसके विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही

सुनिश्चित की जा सके। छात्रवृत्ति वितरण समय से होने चाहिए तथा अनुशासन का पालन सुनिश्चित हो।

इस अवसर पर मुख्य चिकित्साधिकारी डा० आरएन मिश्र, प्रमुख चिकित्साधीक्षक डा० दिवाकर, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डा० जेपी सिंह, बेसिक शिक्षा अधिकारी सर्वदानंद, जिला फायलेरिया अधिकारी डा० सुदेश, संरक्षक सूचना अंजनी कुमार मिश्र, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी ओपीजी राव सहित विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी गण उपस्थित रहे। संचालन आनंद चौबे ने किया।
स०सू०नि० गोरखपुर

i d foKflr

गोरखपुर 16 जुलाई। जिलाधिकारी श्री संजय कुमार के निर्देशानुसार नगर निगम द्वारा माह जुलाई में 15 से 30 तक कुल 70 वार्डों में चूना, मैलाथियान 4 प्रतिशत एवं 24 प्रतिशत की डस्टिंग का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।

कार्यक्रमों के विस्तृत जानकारी देते हुए नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया है कि गत दिवस 15 जुलाई को महादेव झारखंडी टुकड़ा न० 1, सेमरा/जंगल तुलसी राम पश्चिमी, जंगल बेनी माधव एवं बशारतपुर में, जुलाई को नौसड़, मानबेला, दरगहिया, चरगावा एवं राप्ती नगर में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया।

इसी प्रकार 17 जुलाई को शिवपुर सहबाजगंज, लक्ष्मीपुर, जटपुर, माधवपुर, जंगल सालीग्राम, 18 को फर्टीलाइजर, लोहियानगर, इंजीनियरिंग कालेज, नकहा, झरना टोला, 20 को अधियारीबाग, बिछिया पूर्वी, दाउदपुर, रामजानकी नगर, जनप्रिय बिहार कालोनी, 21 को रेलवे बिछिया, धर्मशाला बाजार, नरसिंहपुर, हुमायुपुर, महेवा, 22 को शाहपुर, पुर्दिलपुर, बेतियाहाता, सिविल लाइन द्वितीय, सूर्यकुण्ड धाम नगर, 23 को जटपुर रेलवे, कलयाणपुर, शक्तिनगर, रायगंज, रूस्तमपुर तथा 24 जुलाई को मिर्जापुर, सिविल लाइन प्रथम, राजेन्द्रनगर पश्चिम, गोपलापुर एवं हांसूपुर में यह कार्यक्रम आयोजित होगा।

आगे बताया गया है कि 25 जुलाई को अलीनगर, चक्सा हुसैन, गिरधरगंज, भेड़िया गढ़, तुर्कमानपुर, 27 को जाफरा बाजार, मोहद्दीपुर, विकास नगर, छोटे काजीपुर, रसूलपुर, 28 को दिलेजाकपुर, कृष्णानगर, अलहदादपुर, घोसीपुरवा, इलाहीबाग, 29 को मियां बाजार, तिवारीपुर, दीवानबाजार, बसंतपुर, पुराना गोरखपुर तथा 30 जुलाई को नेता जी सुभाष चन्द्र बोस नगर, इस्माइलपुर, मुफ्तीपुर, महुईसुधरपुर एवं शेषपुर में कार्यक्रम प्रस्तावित है।

जिलाधिकारी ने शत प्रतिशत आच्छादन पर बल देते हुए कहा है कि कार्य के प्रति लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने इसके सत्यापन के भी निर्देश दिये हैं।

i d foKflr

गोरखपुर 16 जुलाई। विधान सभाओं की मतदाता सूची में नाम बढ़ाने, शुद्ध कराने एवं मृतक शिफ्टेड डबल मतदाताओं के नाम विलोपित करने हेतु बूथ लेवल अधिकारी द्वारा घर घर जाकर जांच/सत्यापन 01 जुलाई से 10 अगस्त तक जारी। इसके अतिरिक्त मतदाता सेवा पंजीकरण केन्द्र प्रत्येक तहसीलों पर मतदाता सूची में

नाम बढ़ाने, शुद्ध कराने यथा विधि विलोपित कराने एवं परिचय पत्रों/डुपलीकेट परिचय पत्र बनाने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है।

यह जानकारी देते हुए जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजय कुमार ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निरन्तर पुनरीक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत घर घर जांच/सत्यापन का कार्य 01 जुलाई से 10 अगस्त तक कराया जा रहा है। जिन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में अंकित नहीं हो पाया या मतदाता फोटो पहचान पत्र में कियी भी प्रकार की त्रुटि हे तो उसे संशोधन कराया जा सकता है। उन्होंने जनहित में इसके व्यापक प्रचार प्रसार पर बल दिया है।

श्री कुमार ने यह भी बताया है कि जनपद के समस्त तहसीलों में मतदाता सेवा पंजीकरण से ही फोटो पहचान पत्र निशुल्क बनाये जाने का कार्य किया जा रहा है। डुपलीकेट पहचान पत्र भी तहसील स्तर से ही तत्काल बनाये जाने का कार्य निर्धारित शुल्क जमा कराकर किया जा रहा है। सर्व साधारण इसका लाभ उठायें।

स0सू0नि0

गोरखपुर

i d foKflr

गोरखपुर 18 जुलाई। विधान सभा मतदाता सूची का बूथ लेविल अधिकारी द्वारा 01 जुलाई से 10 अगस्त घर घर जांच/सत्यापन का कार्य किया जा रहा है।

यह जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी श्री संजय कुमार ने बताया है कि जनपद की समस्त तहसीलों में मतदाता सेवा केन्द्र खुला हुआ है, 01. 01. 11 को जो भी व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र पूर्ण कर लिया हो उसका नाम मतदाता सूची में बढ़ाया जा सकता है। मतदाता सूची में पहले से अंकित नाम में यदि कोई त्रुटि हो तो उसे शुद्ध किया जा सकता है तथा मतदाता सूची से मृतक/शिफटेड/डबल मतदाता का नाम निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर अपमार्जित किये जाने का कार्य भी हो रहा है।

श्री कुमार ने आगे बताया है कि मतदाता सूची में नाम बढ़ाने के लिए किसी भी व्यक्ति को अपनी उम्र/निवास से संबंधित सत्यापित प्रमाण पत्र देने पर मतदाता सेवा पंजीकरण केन्द्र से उसे उसी दिन परिचय पत्र भी बनाये जाने का कार्य किया जा रहा है। डुपलीकेट पहचान पत्र निर्धारित शुल्क जमाकर बनाये जा रहे हैं। त्रुटिपूर्ण परिचय पत्र यथाविधि शुद्ध कराने की कार्यवाही भी की जा रही है।

स0सू0नि0

गोरखपुर

i d foKflr

गोरखपुर 19 जुलाई। जिलाधिकारी श्री संजय कुमार ने गेहूं क्रय एजेंसियों को निर्देश दिये हैं कि रबी वर्ष 2011-12 में क्रय गेहूं मूल्य का भुगतान किसानों को हर हाल में 30 जुलाई तक करते हुए डिपो पर संप्रदान 25 जुलाई तक अवश्य कर दी जाये। उन्होंने कहा कि इस कार्य में अब विलम्ब नहीं होना चाहिए। अन्यथा संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। श्री कुमार ने अपर जिलाधिकारी वि/रा को निर्देश दिये कि नियमित रूप से एजेंसीवार मानीटरिंग की जाये। उन्होंने खाद्यान्न उठान समय से करने के साथ ही बेहतर वितरण व्यवस्था पर बल दिया।

उक्त निर्देश जिलाधिकारी ने गत दिवस अपने कैम्प कार्यालय पर आयोजित रबी विपणन वर्ष 2011-12 में क्रय गेहूं के मूल्य का किसानों को भुगतान एवं अवशेष गेहूं भारतीय खाद्य निगम डिलीवरी तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा क्रय एजेंसियों को किये गये भुगतान और जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्न के उठान एवं चावल की उपलब्धता संबंधी समीक्षा बैठक करते हुए संबंधित अधिकारियों को दिये। इस अवसर पर उन्होंने भारतीय खाद्य निगम को चावल की उपलब्धता हेतु कड़े निर्देश दिये।

बैठक में जिला खाद्य विपणन अधिकारी जेपीएस तोमर द्वारा बताया गया कि रबी क्रय वर्ष 2011-12 में गेहूं की खरीद 30 जून को बन्द हो चुकी है। एजेंसीवार क्रय की स्थिति की जानकारी प्राप्त करते हुए जिलाधिकारी ने समस्त क्रय एजेंसियों को निर्देश दिये कि निर्धारित समय के अन्तर्गत डिपो संप्रदान कर किसानों को देय मूल्य का शत प्रतिशत भुगतान कर भुगतान का स्वहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी/प्रभारी गेहूं खरीद जीतेन्द्र कुमार सहित संबंधित क्रय एजेंसी प्रभारी उपस्थित रहे।

id foKflr

गोरखपुर 19 जुलाई। जनपद की सहकारी समितियों पर एक अप्रैल से यूरिया का प्रेषण 3627 मैटन है, जैसे जैसे समितियों के गुड फार पेमेंट के चेक आ रहे हैं तदनुसार निरन्तर प्रेषण जारी है। जनपद में यूरिया एवं फास्फेटिक उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता है। इसी तरह 01 अप्रैल से जनपद की प्राइवेट दुकानों पर 14038 मैटन का प्रेषण है, यूरिया का वर्तमान विक्रय मूल्य 296.98 रु0 प्रकम बोरी है। सहकारी समितियों से उपरोक्त यूरिया ऋण पर उपलब्ध है जिसकी ब्याज दर मात्र 4 प्रतिशत है।

यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी श्री संजय कुमार ने जनपद के समस्त किसानों से कहा है कि यदि वे सहकारी समितियों के सदस्य नहीं हैं तो सदस्य बनकर ऋण पर उर्वरक प्राप्त करें। उन्होंने हिदायत देते हुए कहा है कि उपरोक्त से अधिक मूल्य पर विक्रय करता हुआ यदि कोई दुकानदार पाया गया तो उसके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने यह भी कहा है कि यदि कहीं पर निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर वितरण की जानकारी हो तो जिला कृषि अधिकारी के मोबाइल न0 9235629493 तथा जिला सहायक निबंधक के मोबाइल न0 9415379714 पर तत्काल जानकारी दें।

id foKflr

गोरखपुर 19 जुलाई। जिलाधिकारी श्री संजय कुमार द्वारा विगत 12 जुलाई को मा0 श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित भवनों के निरीक्षण में भवनों के निर्माण गुणवत्ता इत्यादि बिन्दुओं पर उनके कमियां प्रकाश में आईं। इस आशय की भी शिकायतें प्राप्त हुईं कि आवंटित भवनों में आवंटी के स्थान किराये के रूप में अथवा अन्य व्यक्ति निवास कर रहे हैं।

उपरोक्त परिस्थितियों को अति गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने योजना के भवनों की गुणवत्ता की जांच के लिए तथा उनको दी जा रही सुविधा की भौतिक स्थिति के सत्यापन के लिए 5 टीमों गठित की है। प्रत्येक टीम में 5-5 अधिकारी नामित किये गये हैं।

श्री कुमार ने कहा है कि सभी अधिकारी संयुक्त रूप से मौके पर जाकर प्रत्येक आवंटी से वार्ता करेंगे तथा भौतिक रूप से दी गयी अवस्थापना संबंधी सुविधाओं का परीक्षण कर अपनी आख्या निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करेंगे। उपरोक्त समस्त अधिकारी संलग्न निरीक्षण प्रारूप के अनुसार सत्यापन कर संयुक्त हस्ताक्षर से आख्या उनके समक्ष 27 जुलाई तक प्रस्तुत करेंगे साथ ही प्रतिदिन किये गये निरीक्षणों की आख्या उसी दिन अपरान्ह अथवा अगले कार्य दिवस में प्रातः 11 बजे तक अनिवार्य रूप से नगर मजिस्ट्रेट के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

स0सू0नि0 गोरखपुर

id foKflr

गोरखपुर 20 जुलाई। शासन के निर्देशानुसार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अन्तर्गत सोशल आडिट हेतु माह जुलाई का शेड्यूल निर्धारित कर दिया गया है। जिसके अनुसार संबंधित अधिकारी निर्धारित विकास खण्ड की ग्राम पंचायत में निश्चित तिथि को स्वयं उपस्थित होकर जन सुनवाई की प्रक्रिया अपनाते हुए सोशल आडिट सम्पन्न करायेंगे तथा नरेगा अन्तर्गत कराये गये कार्य, उन पर आये व्यय एवं लाभार्थियों को दी गयी धनराशि का विवरण जनता के समक्ष पढ़कर सुनाने व एसकी पुष्टि करने तथा उक्त ग्राम में कराये गये नरेगा कार्यों का स्थलीय सत्यापन कर कार्यवृत्ति तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम में किसी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा।

यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी श्री संजय कुमार ने सोशल आडिट के शेड्यूल के संबंध में विस्तृत रूप से बताया है कि 25 जुलाई को विकास खण्ड खोराबार के ग्राम पंचायत कोनी का सोशल आडिट वह स्वयं करेंगे। इसके अतिरिक्त मुख्य विकास अधिकारी द्वारा 22 को बड़हलगंज के सेमरा खुर्द, 29 को सहजनवा के रामनगर, जिला विकास अधिकारी द्वारा 22 को बासगांव के जिगिना भियावं, 27 को जंगल कौड़िया के बरियारपुर, परियोजना निदेशक द्वारा 27 को भटहट के जैनपुर, 30 को गगहा के मिश्रौली का सोशल आडिट किया जायेगा।

श्री कुमार ने आगे बताया है कि इस कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारियों को भी लगाया गया है। जिसके अनुसार 28 को अपर जिलाधिकारी वी/रा द्वारा खजनी के जिगिना बाबू, अपर जिलाधिकारी प्रशासन द्वारा 25 को पिपरौली के अमतौरा, अपर जिलाधिकारी नगर द्वारा 29 को पिपराइच के सोनबरसा का सोशल आडिट किया जायेगा।

जिलाधिकारी ने बताया है कि इसी प्रकार उप जिलाधिकारियों को इस कार्यक्रम में ग्राम पंचायतें आवंटित की गयी है जिसके अनुसार उप जिलाधिकारी सदर द्वारा 30 को चरगावां के करमहा, कैपियरगंज द्वारा 27 को कहरौली, सहजनवा द्वारा 22 को पाली के भैसड़ा, खजनी द्वारा 27 को बेलघाट के सुअरहा, बांसगांव द्वारा 25 को कौड़ीराम के सलारपुर, गोला द्वारा 21 को धौरहरा तथा चौरी चौरा द्वारा 28 को ब्रम्हपुर के बोहाबार का सोशल आडिट किया जायेगा।

श्री कुमार समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि सोशल आडिट नियत तिथि का समूचित प्रचार प्रसार ग्राम पंचायत में कराना सुनिश्चित करें तथा यह भी सुनिश्चित करें कि आडिट के समय यथासंभव अधिक से अधिक संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे। आडिट की तिथि को नरेगा से संबंधित समस्त अभिलेखों के साथ संबंधित अधिकारी कर्मचारी सहित स्वयं अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें और सोशल आडिट की वीडियोग्राफी कराकर एक प्रति सीडीओ कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायें।

id fokflr

गोरखपुर 20 जुलाई। जिलाधिकारी संजय कुमार की निर्देशानुसार नगर निगम द्वारा छोटी फागिंग मशीन कार्यक्रम 15 जुलाई से प्रारम्भ होकर 20 जुलाई तक महानगर के कुल 70 वार्डों में कराया जा रहा है।

यह जानकारी देते हुए नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया है कि 20 जुलाई को अधियारी बाग, बिछिया पूर्वी, दाउदपुर, रामजानकी नगर, जनप्रिय बिहार कालोनी, 21 को रेलवे बिछिया, धर्मशाला बाजार, नरसिंहपुर, हुमायपुर, महेवा, 22 को शाहपुर, पुर्दिलपुर, बेतियाहाता, सिविल लाइन द्वितीय, सूर्यकुण्ड धाम नगर, 23 को जटपुर रेलवे, कलयाणपुर, शक्तिनगर, रायगंज, रूस्तमपुर तथा 24 जुलाई को मिर्जापुर, सिविल लाइन प्रथम, राजेन्द्रनगर पश्चिम, गोपलापुर एवं हांसूपुर में यह कार्यक्रम आयोजित होगा।

आगे बताया गया है कि 25 जुलाई को अलीनगर, चक्सा हुसैन, गिरधरगंज, भेड़िया गढ़, तुर्कमानपुर, 27 को जाफरा बाजार, मोहद्दीपुर, विकास नगर, छोटे काजीपुर, रसूलपुर, 28 को दिलेजाकपुर, कृष्णानगर, अलहदादपुर, घोसीपुरवा, इलाहीबाग, 29 को मियां बाजार, तिवारीपुर, दीवानबाजार, बसंतपुर, पुराना गोरखपुर तथा 30 जुलाई को नेता जी सुभाष चन्द्र बोस नगर, इस्माइलपुर, मुफ्तीपुर, महुईसुधरपुर एवं शेषपुर में कार्यक्रम प्रस्तावित है।

यह भी बताया गया है कि इसके पूर्व 15 जुलाई को महादेव झारखंडी टुकड़ा न0 1, सेमरा/जंगल तुलसी राम पश्चिमी, जंगल बेनी माधव एवं बशारतपुर में, 16 जुलाई को नौसड़, मानबेला, दरगहिया, चरगावा एवं राप्ती नगर, 17 जुलाई को शिवपुर

सहबाजगंज, लक्ष्मीपुर, जटेपुर, माधवपुर, जंगल सालीग्राम, 18 को फर्टीलाइजर, लोहियानगर, इंजीनियरिंग कालेज, नकहा, झरना टोला में यह कार्यक्रम सम्पन्न हुआ है।

I OI 0fu0 xkj [ki gjA
i d foKflr

गोरखपुर 20 जुलाई। जिलाधिकारी श्री संजय कुमार ने खण्ड विकास अधिकारी खोराबार को निर्देश दिये हैं कि वे ब्लाक खोराबार के ग्राम रामगढ़ उर्फ जंगल चौरी में निवास करने वाले मुसहर समुदाय के लगभग 70 परिवारों को जिन्हें शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है, के परिवार को शासकीय योजनाओं का समस्त लाभ तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा 3 दिन के भीतर रिपोर्ट भी प्रस्तुत करें।

जिलाधिकारी को यह सूचना प्राप्त हुई है कि रामगढ़ उर्फ जंगल चौरी में निवास करने वाले इन मुसहर परिवारों को शासकीय योजनाओं का लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है। यह भी बताया गया है कि यह गांव अम्बेडकर गांव के अन्तर्गत आता है। जिलाधिकारी ने इसे संज्ञान में लेते हुए उक्त निर्देश खण्ड विकास अधिकारी को दिये हैं। उन्होंने यह भी बताया है कि वह स्वयं इस अम्बेडकर गांव का निरीक्षण कर शासन की योजनाओं के तहत यथा हैण्डपम्प, महा माया आवास, सड़क, नाली, बिजली, राशन कार्ड एवं पेंशन आदि की सुविधाएं नियमानुसार उपलब्ध करवायेंगे।

i d foKflr

गोरखपुर 20 जुलाई। शासन के निर्देशानुसार जनपद में बाढ़ राहत कोष का गठन किया जा रहा है। जिसमें वालेंट्री डोनेशन के माध्यम से धनराशि एकत्रित कर उसका उपयोग बाढ़ पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाने हेतु प्रयोग किया जायेगा।

यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी श्री संजय कुमार ने बताया है कि यह कोष सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 अधिनियम सं0 53 2005 की धारा 25 में लोकल आथरटी के कार्यों एवं उद्देश्यों के तहत संचालित किया जा रहा है।

श्री कुमार ने बताया है कि इस प्राधिकरण के 7 सदस्य जिसमें जिलाधिकारी अध्यक्ष, अध्यक्ष जिला पंचायत उपाध्यक्ष, अपर जिलाधिकारी वी/रा0, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्साधिकारी, अधिशासी अभियंता बाढ़ खण्ड एवं अधि0 अभि0 लोनिवि प्रांतीय खण्ड सदस्य होंगे।

i d foKflr

गोरखपुर 20 जुलाई। तहसील कैंपियरगंज सीमा अन्तर्गत 16 जुलाई से 16 अगस्त तक धारा 144 लागू कर दिया गया है। उप जिलाधिकारी मजिस्ट्रेट कैंपियरगंज के हस्ताक्षर से जारी आदेश में कहा गया है कि श्रावण माह में कांवरिया अन्य धार्मिक पूजा स्थलों पर जलाभिषेक करने जाते हैं। अधिकांश सभी वाहनों से कांवरियों का आगमन होता है साथ पूजा स्थलों पर भारी भीड़ होती है। ऐसी स्थिति में शांति भंग होने की आशंका में धारा 144 लागू किया गया है।

उक्त कोर्स को जूनागढ के मठाधीश स्वामी महेश गिरी द्वारा किया जायेगा। उपरोक्त के संबंध में जानकारी व पंजीकरण के लिए स्वयंवर मैरेज हाल पर सम्पर्क किया जा सकता है।

स0सू0नि0 गोरखपुर।

id foKflr

गोरखपुर 21 जुलाई। नालों की सफाई निरन्तर होती रहे ताकि जलजमाव की स्थिति उत्पन्न न हो सके। इसके साथ ही एक भी अभियान के तहत अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही भी की जाये ताकि महा नगर वासियों को जाम से निजात मिल सके।

यह निर्देश प्रभारी जिलाधिकारी हीरा लाल ने विकास भवन सभागार में आयोजित व्यापार बंधु की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिये। इस अवसर पर उन्होंने महा नगर वासियों से कहा कि वे नालों में कूड़ा कचरा न फेंके। उन्होंने नगर निगम को यह भी निर्देश दिये कि नालों की सफाई के तत्काल बाद कचरों को वहां से हटा दें और यदि नालों में स्थानीय जनों द्वारा कूड़ा कचरा डाला जाता है तो उनके उपर **tepkuk** भी निर्धारित किया जाये।

अतिक्रमण की समीक्षा के दौरान हीरा लाल ने कहा कि एक अभियान के तहत महानगर से अतिक्रमण हटवाये जाये। बताया गया कि 22 से 26 तक अतिक्रमण हटाओं अभियान चलाया जायेगा। प्रभारी जिलाधिकारी ने नगर निगम से कहा कि वे इस कार्य पुलिस का भी सहयोग प्राप्त करें। उन्होंने यह भी कहा कि बार बार अतिक्रमण हटाने के बाद यदि किसी दुकानदार द्वारा पुनः अतिक्रमण किया जाता है तो उसे नोटिस देते हुए सुसंगत धारा के तहत उसके विरुद्ध कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाये। उन्होंने कहा कि महानगर को साफ सुथरा बनाने हेतु प्रशासन तत्पर है।

मच्छरों के नियंत्रण हेतु फागिंग एवं मैलाथियान छिड़काव के निर्देश हीरा लाल ने दिये। बताया गया कि यह कार्यक्रम जारी है और 15 से 30 जुलाई तक एक अभियान के तहत महानगर के कुल 70 वार्डों में यह कार्यक्रम जारी है। बैठक में महानगर को 4 भागों में बांट कर बन्दी दिवस आयोजित करने के संबंध में चर्चा के दौरान व्यापारी बंधुओं द्वारा यह सुझाव दिया गया कि बन्दी पूर्व की भांति ही मंगलवार एवं रविवार का दिन रखा जाये। उन्होंने यह भी कहा कि बालश्रम उन्मूलन के विरुद्ध सतत अभियान श्रम विभाग जारी रखे।

रुस्तमपुर ढाले से नीचे दुर्गा मंदिर के आगे वाली सड़क के मरम्मत के संबंध में नगरनिगत द्वारा बताया गया कि सीवआर0एफ में इसका प्रस्ताव रखा गया है अगस्त माह में कार्य प्रारम्भ हो जायेगा। धर्मशाला रेलवे पुल के अगल बगल के पत्थर जो काफी घिस गये हैं उसको बदलने के संबंध में बताया गया कि यह रेलवे की जमीन है ओर कार्यवाही इसी लिए लंबित है इस पर प्रभारी जिलाधिकारी ने नगर निगम को निर्देश दिये कि वे रेलवे को इस आशय का पत्र भेजा जाये कि यह जनता की समस्या

है और जनहित के दृष्टिगत रेलवे बनवाये या अनुमति दे, ऐसा अनापत्ति प्रमाण प्राप्त किया जाये।

बैठक का संचालन डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर एस के श्रीवास्तव ने किया। इस अवसर पर महा प्रबंधक जलकल डीएन मिश्रा के अतिरिक्त श्रम, स्वास्थ्य, नगर निगम, सूचना, आपूर्ति, प्रदूषण आदि विभागों के अधिकारियों के अलावा व्यापारी बंधु प्रकाश नारायन पाण्डेय, रमेश चन्द गुप्ता, अजय जायसवाल, प्रेमपथिक आदि उपस्थित रहे।

स0सू0नि0

गोरखपुर

id foKflr

गोरखपुर 25 जुलाई। जिलाधिकारी श्री संजय कुमार ने कहा है कि जनपद को स्वच्छ, सुन्दर एवं स्वस्थ बनाये रखने हेतु प्रशासन पूरी तरह तत्पर है और इसके निमित्त उन्होंने साफ-सफाई पर विशेष बल देते हुए कहा है कि सफाई अभियान निरन्तर जारी रखा जाए। क्योंकि गन्दगी से अनेकानेक बीमारियां होने की सम्भावनाएं बनी रहती हैं। उन्होंने नगर निगम को निर्देश दिया है कि वे नालों की सफाई पर ध्यान देते हुए महानगर की सफाई व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त रखें। उन्होंने कहा कि यह भी सुनिश्चित हो कि नालों से निकाले गये मलवे तत्काल प्रभाव से वहां से हटा दिये जाएं और कूड़े-कचरे एक निश्चित स्थान पर रखें जाएं। उन्होंने यह भी कहा है कि यह सुनिश्चित हो कि नालियों में कूड़ा डालने वालों पर जुर्माना लगाया जाए।

यह निर्देश जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित सफाई एवं ट्रैफिक व्यवस्था से सम्बन्धित आवश्यक बैठक करते हुए सम्बन्धित अधिकारियों को दिये। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जिन वार्डों में सफाई काम को रिपिट करना आवश्यक हो तो उसे अविलम्ब करा दिया जाए। बताया गया कि 8 वार्डों में सफाई का काम कराया जा रहा है जिसमें से तीन का काम पूरा हो चुका है।

श्री संजय कुमार ने कहा कि यह सुनिश्चित हो कि 120 रुपये प्रतिदिन की दर से हर सफाई कर्मी को उसका पारिश्रमिक मिलना चाहिए और उसके खाते में धनराशि भेजी जाए। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मी पर नगर निगम का कण्ट्रोल होना चाहिए और यह जिम्मेदारी सफाई निरीक्षक एवं सुपरवाइजर होगी कि उनके वार्ड से सफाई सम्बन्धी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नागरिक होने के नाते सफाई व्यवस्था को मेन्टेन करना हम सबका दायित्व है। उन्होंने कहा कि काम के प्रति ईमानदारी आवश्यक है और नगर निगम इस कार्य के प्रति सजग रहे। उन्होंने कहा कि अच्छे कार्यों का अच्छा परिणाम होता है।

इस अवसर पर जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि महानगर के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र होर्डिंग मुक्त किये जाएं तथा यह भी सुनिश्चित हो कि होर्डिंग की लम्बाई, ऊंचाई

एक मानक के अनुरूप हो। उन्होंने कहा कि एक अभियान के तहत चौराहों पर लगे बैनर पोस्टर, झण्डियां आदि हटा दिए जाएं। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाए और नालियों एवं सड़कों पर से अतिक्रमण हटाते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि यदि उसके बाद भी किसी व्यक्ति द्वारा अतिक्रमित किया जाता है तो उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण करने वालों को पहले नोटिस दी जाए और उसके बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाता है तो जुर्माना भी किया जाए।

श्री कुमार ने यह भी कहा कि चिकित्सालय, मैरेज हाल में यह सुनिश्चित हो कि सड़क के किनारे खुले में कूड़ा न फेंके। उन्होंने कहा कि हर दुकानदार व्यक्ति, प्रतिष्ठान कूड़े को कूड़ेदान में एकत्रित करके सुबह-शाम निश्चित स्थान पर कूड़ा डाले इससे महानगर साफ सुथरा दिखेगा और बीमारी मुक्त होगा तथा एक अच्छा वातावरण सृजित होगा। उन्होंने सफाई व्यवस्था में जन सहयोग की अपील करते हुए कहा कि किसी भी कार्यक्रम की सफलता जन सहयोग के बिना सम्भव नहीं हैं। उन्होंने नगर निगम से कहा कि प्रमुख स्थानों पर चौराहों पर पर्याप्त डस्टबीन रखें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सफाई व्यवस्था में पर्याप्त परिवर्तन दिखना चाहिए और यह अभियान एक दिन नहीं बल्कि अनवरत जारी रहना चाहिए। उन्होंने सफाई के प्रति जागरूकता की आवश्यकता बताते हुए नगर निगम के अधिकारियों से कहा कि वे नियमित रूप से सफाई कर्मियों की हाजिरी लें तथा इसकी मानीटरिंग करते रहें। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी कहा कि दिन में स्ट्रीट लाइट नहीं जलने चाहिए। 15 दिन के अन्दर इस कार्य में प्रगति परिलक्षित होने चाहिए।

ट्रैफिक व्यवस्था की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि रोड पर लगे पोल हटाये जाएं और सड़क के बीच बने बड़े गोल चौराहों को छोटा किया जाए। बताया गया कि शास्त्रीय चौराहे से दो पोल हटाए जाने हैं जबकि इस कार्य हेतु नगर निगम द्वारा विद्युत विभाग को धनराशि को मुहैया करा दी गयी हैं जिलाधिकारी ने 5 अगस्त तक इस कार्य को पूरा कर देने के निर्देश विद्युत विभाग को दिये। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी कहा कि और जगहों को चिन्हित कर पोल हटाए जायें। जिलाधिकारी ने कहा कि चौराहों, सड़कों, स्थलों के सौन्दर्यीकरण की कार्यवाही की जाए तथा गाड़ियां पार्किंग स्थल पर ही खड़ी की जाए और ट्रैफिक नियमों का पालन किया जाए।

इसके अतिरिक्त श्री कुमार ने यह भी निर्देश दिया कि टैक्सी/आटो स्टैण्डों का निर्धारण किया जाए ताकि गाड़ियां एक निश्चित स्थान पर खड़ी हों। अवैध स्टैण्ड पर कदापि गाड़ियां नहीं खड़ी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वैध स्टैण्ड पर पीली पट्टी बनायी जाए और उससे आगे गाड़ी खड़ी न हो। जिलाधिकारी ने रोडवेज की बस जो सड़क पर खड़ा कर सवारी उतारते और चढ़ाते हैं उसपर आपत्ति प्रकट करते हुए कहा कि यह व्यवस्था नहीं चलेगी और बस स्टैण्ड में बस खड़ी कर सवारी चढ़ाने/उतारने की कार्यवाही की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि टैम्पो पर निर्धारित सवारी ही बठाया जाए अधिक नहीं और शहर के लिए अधिकृत टैम्पो ही शहर में चले। उन्होंने नगर निगम को निर्देश दिया कि आटो का परमिट बनाते समय नगर क्षेत्र के

आटो का ही परमिट बनाया जाए। उन्होंने इसका कड़ाई से अनुपालन कराने के निर्देश दिए। श्री कुमार ने बताया कि सफाई एवं ट्रैफिक व्यवस्था सम्बन्धी बैठक उनके द्वारा प्रतिमाह की जाएगी और बैठक में लिए गये निर्णयों का शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित होना चाहिए अन्यथा सम्बन्धित के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

बैठक में नगर आयुक्त सूर्य लाल सिंह, उपाध्यक्ष जीडीए सोमनाथ बिन्द, अपर जिलाधिकारी नगर देवकृष्ण तिवारी, एडीएम प्रशासन एसएस श्रीवास्तव, नगर मजिस्ट्रेट जेपी सिंह, एसपी सिटी उमेश चन्द्र श्रीवास्तव सहित विभिन्न विभागों के सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

i d foKflr

गोरखपुर 25 जुलाई। जिलाधिकारी श्री संजय कुमार के निर्देश के क्रम में जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया है कि बताया है कि मृत्योपरान्त निराश्रित महिलाओं को पेंशन योजनान्तर्गत शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य 37585 के सापेक्ष समस्त लाभार्थियों को प्रथम छमाही की किस्त उनके खाते में भेज दी गयी है। कोई लाभार्थी अवशेष नहीं हैं।

i d foKflr

गोरखपुर 26 जुलाई। जिलाधिकारी श्री संजय कुमार ने समस्त जनपदीय अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे वृक्षारोपण का निर्धारित लक्ष्य हर हाल में 10 अगस्त तक पूर्ण कर लें। इसमें किसी भी स्तर पर शिथिलता न बरती जाये।

यह निर्देश जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित वृक्षारोपण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिये। इस अवसर पर उन्होंने उप जिलाधिकारियों से कहा कि खाली जमीन पर अधिकाधिक रूप से वृक्षारोपण सुनिश्चित करायें। उन्होंने कहा कि तालाबों के किनारे विद्यालयों में सड़कों के किनारे आदि महत्वपूर्ण स्थलों पर वृक्षारोपण अधिकाधिक रूप से कराया जाये।

श्री कुमार ने कहा कि वृक्षारोपण शासन की प्रमुखता का कार्यक्रम है वृक्षारोपण के साथ ही उसके रखरखाव पर भी विशेष ध्यान दिया जाये। उन्होंने बताया कि निर्धारित तिथि के बाद वृक्षारोपण का सत्यापन भी कराया जायेगा। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी गण उपस्थित रहे।

i d foKflr

गोरखपुर 26 जुलाई। जिलाधिकारी श्री संजय कुमार की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में "एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम (ए0ई0एस) जापानी इंसेफलाइटिस" की रोकथाम एवं नियंत्रण विषयक कार्यशाला सम्पन्न हुआ। जिसमें जिलाधिकारी ने जन मानस से अपील किया कि वे अपने अगल बगल सफाई व्यवस्था सुदृढ़ रखें, मच्छरदानी का प्रयोग करे, पूरे बांह के कपड़े पहने, इंडिया मार्का-2 हैण्डपम्प का पानी पियें। उन्होंने खुले शौच का प्रयोग न करने की भी सलाह दी है।

इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि नगरीय क्षेत्र में जे0ई0 एवं ए0ई0एस0 की रोकथाम एवं नियंत्रण की जिम्मेदारी मुख्य राजस्व अधिकारी, नगर मजिस्ट्रेट तथा मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी की होगी और ग्रामीण क्षेत्र में इस बीमारी की रोकथाम एवं

नियंत्रण की जिम्मेदारी उप जिलाधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी, प्रभारी चिकित्साधिकारी, एबीएसए तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी की होगी।

श्री कुमार ने निर्देश दिये कि प्रभारी चिकित्साधिकारी जे0ई0 एवं ए0इ0एस0 के रोगियों की सूचना प्राप्त होते ही उसकी एक प्रति खण्ड विकास अधिकारी को प्राप्त करावें तथा खण्ड विकास अधिकारी सूची प्राप्त होते ही ग्राम में अपनी टीम के साथ निरोधात्मक कार्यवाही, साफ सफाई कराना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रभावित ग्रामों में सफाई कार्याय सफाई कर्मी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा एवं कीट नाशक तथा अन्य दवाएं ग्रामीण स्वास्थ्य समिति से क्रय की जायेगी।

जिलाधिकारी ने कहा कि जे0ई0 एवं ए0इ0एस0 से प्रभावित रोगियों को संबंधित ग्राम के ग्राम प्रधान निकटस्थ प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र पर वाहन से पहुंचायेंगे तथा वाहन पर किया गया व्यय ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति से आहरित होगा। उन्होंने ग्रामीण स्तरीय कार्यकर्ता एएनएम आशा आगनवाड़ी कार्यकर्त्री पंचायत मित्र एवं शिक्षा मित्र ग्राम पंचायत अधिकारी लेखपाल को निर्देशित किया है कि इस रोग से प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल उपचार हेतु प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर पहुंचाये तथा गांव में निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

कार्यशाला में मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 आरएन मिश्र एवं प्रा0 मेडिकल कालेज डा0 केपी कुशावाहा के अतिरिक्त डा0 मिलिन्द गोरे तथा डा0 डीके श्रीवास्तव ने इस बीमारी के रोकथाम एवं नियंत्रण के संबंध में सुझाव व्यक्त किये। इस अवसर पर नगर मजिस्ट्रेट, चिकित्सक के साथ पंचायती राज, शिक्षा, आइसीडीएस, जलनिगम, नगरपालिका के अधिकारियों के साथ बीडीओ ग्राम प्रधान उपस्थित रहे।

id foKflr

गोरखपुर 28 जुलाई। जिलाधिकारी श्री संजय कुमार ने निर्देश दिये हैं कि 31 अक्टूबर तक हर हाल में कालेसर से जगदीशपुर बाइपास चालू कर दिये जायें इसके साथ ही उन्होंने 10 दिन के अन्दर एन0एच0 29 एवं 28 का मरम्मत कर गड्ढामुक्त कर दिया जाये ताकि आवागमन सुगमता पूर्वक हो सके। इसमें लापरवाही कदापि न की जाये क्योंकि क्षतिग्रस्त सड़कों से दुर्घटना की संभावनाएं प्रबल होती हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि आवागमन एवं जन सुविधा के दृष्टिकोण से निर्धारित समय के अन्तर्गत कार्य पूर्ण होने चाहिए।

उक्त निर्देश जिलाधिकारी ने आज एन0एच0 28 एवं 29 सड़क के निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों को दिये। उन्होंने बाइपास के निरीक्षण के दौरान कहा कि मैन पावर बढ़ाकर युद्ध स्तर पर कार्य कराते हुए हर हाल में 31 अक्टूबर तक सड़क को चालू कर दिया जाये। एन0एच0 28 व 29 के निरीक्षण के दौरान श्री कुमार ने कहा कि आबादी के बीच जहां सड़क पर पानी एकत्रित हो रहा है वहां जल निकासी हेतु नाली बनाई जाये। उन्होंने यह भी कहा कि यदि स्थानीय जन द्वारा नाली में कूड़ा कचरा डालकर जाम किया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध जुर्माना भी लगाया जाये। श्री कुमार ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी स्थित में सड़क पर पानी नही लगना चाहिए।

श्री कुमार ने एन0एच0 के अधिकारी को निर्देश दिये कि 10 दिन के अन्दर दोनों सड़कें गडढामुक्त होने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि पेट्रोल पम्प के पास यदि पेट्रोल पम्प मलिक द्वारा नाली का निर्माण न कराया गया हो तो यह आपत्तिजनक स्थिति है, नाली निर्माण अवश्य कराये जायें। जिलाधिकारी ने गोरखपुर से बड़हलगंज तक की सड़क तथा गोरखपुर से सहजनवा तक की सड़क का विधिवत अवलोकन उपरान्त उक्त निर्देश दिये। उन्होंने यह भी कहा है कि बरसात में जनमानस को आवागमन में कोई असुविधा न हो इसके दृष्टिगत सड़क का मरम्मत निर्धारित समय के अन्तर्गत अवश्य कर दिया जाये और बरसात बाद पूर्ण रूपेण सड़क कंप्लीट कर दी जाये। जिलाधिकारी ने नगर मजिस्ट्रेट को निर्देश दिये हैं कि वे गोरखपुर सहजनवा मार्ग पर निगरानी रखते हुए कार्य पूर्ण करायें।

जिलाधिकारी ने एन0एच0 के अधिकारियों से कहा कि मरम्मत कार्यों के दौरान यह भी सुनिश्चित हो कि सड़क/नाली पर अगर कहीं अतिक्रमण पाया जाये तो उसे हटाते हुए संबंधित के विरुद्ध विधिक कार्यवाही भी की जाये। उन्होंने इन कार्यों में आवश्यकतानुसार पुलिस/राजस्व के अधिकारियों के भी सहयोग प्राप्त करने के निर्देश दिये। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी एसएस श्रीवास्तव, एन0एच0 के अधिकारी मु0 मुस्तफा आदि उपस्थित रहे।

id fokflr

गोरखपुर 28 जुलाई। जिलाधिकारी श्री संजय कुमार ने आज दक्षिणांचल में स्थित मझवलिया, नवलपुर सहित अनेक कटान स्थलों का विधिवत निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान श्री कुमार ने उप जिलाधिकारी गोला को निर्देश दिये कि वे बंधों पर सतत निगरानी बनाये रखें तथा रात में भी आकस्मिक निरीक्षण कर संबंधित कर्मियों की उपस्थिति अवश्य चेक करें। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के सम्पूर्ण इन्तेजाम किये जायें। स्थानीय जनों से वार्ता कर जिलाधिकारी ने बाढ़ बचाव कार्यों के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त की। लोगों द्वारा कार्य प्रति संतोष प्रकट किया गया। निरीक्षण के दौरान स्थानीय जनों द्वारा बताया गया कि मुक्तिधाम पर पानी का प्रेशर पड़ने के कारण कटान की संभावनाएं बन रही हैं जिलाधिकारी ने तत्काल मौके पर जाकर देखा तथा संबंधित अधिकारी को निर्देश दिये कि वे तत्काल प्रभाव से कटान बिन्दु पर बालू की बोरियों एवं बम्बूक्रेड आदि के माध्यम से प्रभावी तौर पर कार्यवाही सुनिश्चित करें। इस अवसर पर उन्होंने मुक्तिधाम पर वृक्षारोपण भी किया।

इस अवसर पर श्री कुमार ने उप जिलाधिकारी से कहा कि संवेदनशील एवं अति संवेदनशील कटान स्थलों पर निरन्तर पेट्रोलिंग जारी रखी जाये। उन्होंने बाढ़ चौकियों पर स्टाफ की निरन्तर तैनाती एवं आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता तथा नावों को गांव से सम्बद्ध करने की कार्यवाही कर ली जाये। उन्होंने यह भी कहा कि बांधों का निरीक्षण कर संवेदनशील स्थलों पर बालू, बोरी आदि की व्यवस्था तैयार रखी जाये। उन्होंने कहा कि गांव में क्लारीन की गोली का भी वितरण करावें। श्री कुमार ने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिये हैं कि सीएचसी/पीएचसी पर दवाओं की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में सुनिश्चित रखें।

सफाई व्यवस्था के दृष्टिगत जिलाधिकारी ने फागिंग, डीडीटी, फिनायल आदि दवाओं के छिड़काव के साथ ही नालियों की सफाई आदि पर विशेष बल दिया। श्री कुमार ने संचार माध्यमों को सुदृढ़ करने के निर्देश देते हुए कहा कि नदी के खतरों बिन्दु पहुंचते ही बाढ़ चौकियों को क्रियाशील कर दिया जाये। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आकस्मिक निरीक्षणों का दौर अनवरत जारी रहेगा और कही कोइ कमी/गड़बड़ी पाये जाने पर संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही निश्चित है।

निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी एस0एस0 श्रीवास्तव, उप जिलाधिकारी गोला मोती लाल सिंह सहित विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी गण उपस्थित रहे।
स0सू0नि0 गोरखपुर।

i d foKflr

गोरखपुर 28 जुलाई। जिलाधिकारी श्री संजय कुमार ने बताया है कि कुष्ठ सेवाश्रम कुष्ठ रोगियों की सेवा हेतु समर्पित है और यहां पर निशुल्क भोजन, कपड़ा दवा आदि दी जाती है।

श्री कुमार ने जनपद वासियों एवं नगर निगम के अधिकारियों से कहा है कि उन्हें जहां कही भी इस रोग से ग्रसित व्यक्ति मिले कुष्ठ सेवाश्रम में भेजे। उन्होंने यह भी बताया है कि यहां पर कुष्ठ रोगियों वृद्धा एवं विधवा पेंशन की भी सुविधा दी जाती है। उन्होंने कहा है कि ऐसे रोगी कही सड़क पर दिखाइ दें उनको कुष्ठ सेवाश्रम में अवश्य भेजा जायें

i d foKflr

गोरखपुर 29 जुलाई। त्यौहारों को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु प्रशासन पूरी तरह कटिबद्ध है, इसके लिए तैयारियां पूरी हैं इसमें किसी भी तरह से खलल पैदा करने वालों की खैर नहीं है। त्यौहारों को आपसी भाइचारे की भावना से साहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने की अपील की गयी है।

जिलाधिकारी श्री संजय कुमार ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित, ईदुलफितर (ईद) त्यौहार को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु जनपद स्तरीय शांति एवं सदभावना समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उक्त विचार व्यक्त किये। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि एक अगस्त से रमजान (रोजा) का महीना प्रारम्भ हो रहा है इसलिए यह बैठक इससे पूर्व इस उद्देश्य से आयोजित किया गया है कि अगर कही कोइ कमी व्यवस्था में हो तो समयबद्ध ढंग से उसे पूर्ण कर लिया जाये।

श्री कुमार ने विधुत एवं जलापूर्ति अनवरत बनाये रखने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को देते हुए कहा कि यह सुनिश्चित हो कि इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अधिशासी अभियंता विधुत को निर्देश दिये उनकी तरफ से अनवरत विधुत आपूर्ति हेतु पावर कार्पोरेशन को पत्र भेजा जाये। उन्होंने साफ सफाई पर विशेष बल देते हुए कहा कि जन सेवाओं से जुड़े सभी अधिकारी व्यवस्था के प्रति पूरी तरह सजग रहें ताकि रमजान में कोई असुविधा न हो।

जिलाधिकारी ने छुट्टा पशुओं को प्रतिबंधित करने के निर्देश नगर निगम को देते हुए अपर जिलाधिकारी नगर से कहा कि वे इसकी निगरानी बनाये रखें ताकि

त्यौहार में कोड़ असुविधा न हो। उन्होंने नगर निगम को यह भी निर्देश दिये कि नाले/नालियों से निकाली गयी मलबों को तत्काल प्रभाव से हटवा दें तथा जो नालियां चोक है उसे अविलम्ब साफ कराये। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कहीं भी जल जमाव की स्थिति नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। श्री कुमार ने लो0नि0वि0 को भी निर्देश दिये कि क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत शीघ्र करा दें इसके साथ ही उन्होंने अतिक्रमण हटाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को देते हुए कहा कि यह सुनिश्चित हो कि एक बार अतिक्रमण हटाने के बाद पुनः ऐसी स्थिति न आने पाये और यदि कोई इसके विपरीत साहस करता है तो उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

श्री कुमार ने उप जिलाधिकारी एवं पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे असामाजिक तत्वों पर सतत निगरानी बनाये रखें तथा उन्हें चिन्हित कर उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अधिकारी गण आदेशों का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें अन्यथा कार्यवाही हेतु तैयार रहें। जिलाधिकारी ने कहा कि जो भी शिकायतें मिले उसे रजिस्टर में अंकित कर तात्कालिक प्रभाव नियंत्रण की कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि छोटी छोटी बातों को भी गंभीरता से लिया जाये उसकी अनदेखी न की जाये। उन्होंने पुलिस गस्त जारी रखने के निर्देश देते हुए यह भी सुझाव दिया कि महानगर वासी ट्रेफिक नियमों का पालन करें ताकि जाम की स्थिति न उत्पन्न हो।

जिलाधिकारी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण व्यवस्था पारदर्शी एवं समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित कराने के निर्देश डीएसओ को देते हुए कहा कि सामग्री वितरण की तिथि एवं मात्रा का प्रचार प्रसार मीडिया के माध्यम से अवश्य कराया जाये। उन्होंने मादक द्रव्यों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश देते हुए कहा कि ईदुलफितर/अलविदा अवधि में फर्स्ट एड बाक्स एवं जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये। उन्होंने नगर निगम को यह भी निर्देश दिये कि ईद/अलविदा के अवसर पर सफाई के साथ साथ चूना डीडीटी इत्यादि का छिड़काव कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने थानावार शांति समिति की बैठक आयोजित करने के निर्देश दिये। उन्होंने शांति समिति के सदस्यों के एक एक कर सबके सुझावों को बड़े ध्यान से सुनते हुए उन्हें आश्वासन दिया कि उनके सुझावों को पूरी तरह अमल में लाया जायेगा।

इस अवसर पर पुलिस उप महा निरीक्षक श्री मुकेश शुक्ला ने कहा कि त्यौहार को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस बल की पर्याप्त उपलब्धता रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि किसी को कोई समस्या हो तो वह 100 नम्बर पर डायल करें किन्तु इसका दुरुपयोग न करें। वरिष्ठ अधिकारियों के दूरभाष न0 पर भी सूचित करें। उन्होंने बताया कि 100 नम्बर पूरी तरह क्रियाशील है। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने स्वयं 100 नम्बर डायल कर चेक किया। डीआइजी ने कहा कि जन सुरक्षा हेतु पुलिस/प्रशासन पूरी तरह तत्पर है।

बैठक में उपरोक्त के अतिरिक्त अपर जिलाधिकारी गण, नगर मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी गण, पुलिस के अधिकारी गणों के साथ विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी गणों के अतिरिक्त शांति समिति के सदस्य पी0के0 लाहिड़ी, सरदार बलबीर

सिंह, एम0 रहमान, डा0 सुधाकर पाण्डेय, किरनचन्द गुप्ता, डा0 हरिशंकर श्रीवास्तव आदि उपस्थित रहे।

स0सू0नि0 गोरखपुर

id foKflr

गोरखपुर 30 जुलाई। अब जनपद में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सुबह 8 बजे से 2 बजे तक चलेंगे तथा उसके बाद वे खेल कूद, संगीत इत्यादि पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेंगे। कस्तूरबा विद्यालयों के संचालन की जिम्मेदारी वार्डन की होगी तथा बच्चों को मीनू के अनुसार भोजन, बैठने, सोने की समूचित व्यवस्था, मनोरंजन के लिए टी0वी0 होगी। अगर इसमें किसी स्तर पर लापरवाही बरती गयी तो प्रभारी सहित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

आज अपरान्ह 1.45 बजे मंडलायुक्त नार्मल कम्पाउंड में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पहुंचे और गरीब तथा किसी कारण से बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों की सुधि ली। मंडलायुक्त विद्यालय की व्यवस्था से काफी खिन्न थे, बैठने के लिए बच्चों को डेस्क, बेंच, ड्रेस, बैग नहीं पाया गया तथा मीनू के अनुसार उन्हें खाना भी नहीं दिया जा रहा है। विद्यालय की देखरेख का कार्य ए0बी0एस0ए0 चरगांवा को दिया गया है। शैचालय में टोटियां खराब पायी गयी, बराबर पानी गिरने से दीवारों पर सीलन थी। मंडलायुक्त ने तत्काल प्रभाव से विद्यालय का कार्य नगर शिक्षा अधिकारी को देखने का निर्देश दिया तथा वहीं मौजूद ए0डी0 बेसिक मृदुला आनन्द को सारी व्यवस्थाएं एक सप्ताह में पूर्ण करा लेने के निर्देश दिया।

आयुक्त ने मंडल में संचालित सभी विद्यालयों में सभी व्यवस्थाएं कराने का निर्देश सहायक निदेशक बेसिक शिक्षा को दिया और कहा कि पुनः निरीक्षण करने पर खामियां पाई गई तो जिम्मेदारी निर्धारित कर कार्यवाही की जायेगी।

मंडलायुक्त ने ए0डी0 बेसिक एंव वार्डन को विद्यालय में महिला डाक्टर को बुलाकर सभी बच्चों की कौन्सिलिंग कर उनके स्वास्थ्य को चेकअप करने का निर्देश दिया। उन्होंने किचेन का निरीक्षण किया तथा सफाई व्यवस्था का जायजा लिया, सभी रसोईयों के स्वास्थ्य का परीक्षण करने का निर्देश दिया और कहा बिना नहाये तथा साबुन से बिना हाथ धोये रसोइया खाना न बनाये। किचेन में फ्रीज व आलमारी की आवश्यकता बताई गयी।

आयुक्त ने बच्चों के सोने के कमरे को देखा, वहां पर पाया कि चौकी टूटी हुई है तथा पर्याप्त संख्या में नहीं है गद्दे काफी पुराने पाये गये। उन्होंने नगर शिक्षा अधिकारी को बुलाकर फटकार लगाई और सारी व्यवस्था करने के निर्देश दिये। कमरे में टूटी हुई टीवी, टूटा हुआ कंप्यूटर भी पाया गया जिसपर नाराजगी व्यक्त करते हुए आयुक्त ने इसे बदलने का निर्देश दिया। बातचीत से स्पष्ट हुआ कि वार्डन मांग पत्र तो देती है किन्तु सामान नहीं मिलता है, जिसपर नाराज आयुक्त ने वार्डन को ही विद्यालय संचालित करने का निर्देश दिया।

विद्यालय में कुल 94 बच्चे हैं जिसमें 88 उपस्थित थे, 12 बच्चे नेत्रहीन तथा 12 मुकबधिर हैं, बच्चों से मिलजुल कर आयुक्त ने उनसे जानकारी ली और पूछा कि इसके पूर्व कहा पढ़ते थे ओर क्यों बीच में पढ़ाई छोड़ दी। बच्चों ने बताया कि उनके माता पिता गरीब हैं तथा मजदूरी आदि से जीवन यापन करते हैं, उनकी क्षमता पढ़ाने

की नहीं है। ज्योति शर्मा कहती है कि उसने 4 तक पढ़ाई कर बीच में छोड़ दी है। कक्षा 6 में पढ़ने वाली गुड़िया ने "हम भारत की जागीर जाने नहीं देंगे" गीत गाकर तथा गुड्डन नेत्रहीन ने स्वागत गीत गाकर मन मोह लिया।

आयुक्त ने खेल सामग्री वालीवाल, फुटबाल आदि न होने तथा मीनू के अनुसार खाना न देने, नाश्ते में दूध अण्डा न देने पर बी0एस0ए0 का जवाब तलब किया। इसके पूर्व आयुक्त ने डायट विद्यालय का भी निरीक्षण किया। एक कक्ष में काफी संख्या में शिक्षा मित्रों के उपस्थित पाये जाने पर आयुक्त ने प्रधानाचार्य डायट को फटकार लगाई और कहा कि इस प्रकार से जब विद्यालय खुले हुए हैं पठन पाठन बाधित कर शिक्षा मित्रों को बुलाने का क्या मतलब है। बताया गया कि ये शिक्षा मित्र प्रशिक्षण के लिए अपने फार्म जमा करने आये थे। बरामदे में टूटी हुई आलमारी तथा वाटर कूलर को उन्होंने तत्काल हटाये जाने का निर्देश दिया।

निरीक्षण के समय प्रधानाचार्य डायट, सहायक सूचना निदेशक हंसू राम भी थे।

स0सू0नि0

गोरखपुर।

id fokflr

गोरखपुर 30 जुलाई। जिलाधिकारी श्री संजय कुमार ने निर्देश दिये हैं कि अक्टूबर माह तक समस्त योजनाओं में अम्बेडकर गांवों का संतृप्तिकरण कर लिया जाये तथा काग्र की गुणवत्ता एवं समबद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाये। इसमें लापरवाही या गड़बड़ी पाये जाने पर संबंधित के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की जायेगी।

यह निर्देश जिलाधिकारी ने आज अम्बेडकर गांवों के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को दिये। उन्होंने विकास खण्ड खोराबार के अम्बेडकर ग्राम जंगल रायगढ़ उर्फ चौरी, सरदारनगर के अम्बेडकर गांव चकदेइया तथ ब्रम्हपुर विकास खण्ड के अम्बेडकर गांव कोल्हुआ का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने खाद्यान्न वितरण में अनियमितता की शिकायत पर दो कोटेदारों के कोटा निलंबित करने के साथ ही आरोप पत्र जारी करते हुए एक सप्ताह के अन्दर नये कोटेदार के चयन के निर्देश डीएसओ को दिये। इसके अतिरिक्त शिथिल पर्यवेक्षण पर एक एबीएसए को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के साथ ही उनके वेतन रोकने के निर्देश दिये। उन्होंने एक ग्राम पंचायत अधिकारी के निष्क्रिय कार्य प्रणाली पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के साथ ही मुख्यालय से सम्बद्ध करने के निर्देश डीपीआरओ को दिये।

जिलाधिकारी ने प्रत्येक अम्बेडकर गांव में घूमकर सड़क कह गुणवत्ता नाली आदि विभिन्न योजनाओं का स्थलीय सत्यापन किया तथा चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं से रूबरू हुए। उन्होंने बताया कि प्रतिमाह अम्बेडकर गांव के सत्यापन हेतु जनपद के वरिष्ठतम अधिकारियों को भेजा जायेगा और कमियों/समस्याओं को दूर कराया जायेगा। इस अवसर पर उन्होंने अपने सम्बोधन में कहा कि सरकार विकास के प्रति पूरी तरह अग्रसर है और जन कल्याण हेतु अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं संचालित

की है। आवश्यकता उसके सही क्रियान्वयन की है और यह तभी संभव होगा जब लाभार्थी अपने हित के प्रति जागरूक होगा। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यो पर ग्रामीण जन निगरानी रखें और यदि कोई कमी पायी जाये तो तत्काल अवगत कराये ताकि उसका निराकरण कराया जा सके।

जिलाधिकारी ने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं में दलाली नहीं चलेगी और ऐसा करने वालों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी कहा कि अवैध शराब निर्माण/कच्ची शराब बनते पाया गया तो आबकारी विभाग के साथ साथ संबंधित एसओ के विरुद्ध भी कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि हर हाल में यह बन्द होना चाहिए। श्री कुमार ने अम्बेडकर गांव में सी0सी0 रोड की गुणवत्ता की जांच हेतु स्वयं सड़क को खुदवा कर देखा।

अम्बेडकर गांव जंगल रायगढ़ उर्फ चौरी के संबंध में बताया गया कि यहां की आबादी लगभग 7000 है तथा यह वर्ष 2011-12 का चयनित गांव है। यह जनपद का सबसे बड़ा अम्बेडकर गांव है यहां कुल 137 हैण्डपम्प लगे हैं जिसमें 18 हैण्डपम्प खराब बताये गये। जिलाधिकारी ने 10 दिन के अन्दर सभी हैण्डपम्पों को ठीक कराने के निर्देश दिये। विधुत समीक्षा के दौरान ग्रामीणों द्वारा यह मांग की गयी कि यहां विधुत आपूर्ति नगरीय क्षेत्रों की भांति की जाये। जिलाधिकारी ने कहा कि गांव के हर घर के लोग यदि कनेक्शन लें लें और बिजली चोरी न हो इस आशय का प्रमाण पर यदि प्रधान द्वारा दिया जाये तो नगरीय क्षेत्रों की भांति विधुत आपूर्ति कराया जायेगा। उन्होंने ढीले तारों को ठीक करने एवं जर्जर पोलों को बदलने के निर्देश विधुत विभाग को दिये साथ ही विद्यालय में वाउंड्रीवाल बनाने के निर्देश संबंधित अधिकारी को देते हुए वाउंड्री के अन्दर वृक्षारोपण के निर्देश दिये। बताया गया कि यहां 8 किमी0 सीसी रोड का निर्माण कराया जाना है।

प्राथमिक विद्यालय के संबंध में बताया गया कि प्राइमरी में 240 बच्चे एवं 6 अध्यापक हे तथा जूनियर हाइस्कूल में 105 के सापेक्ष 8 टीचर तैनात हे जिसमें से 4 का स्थानान्तरण कर दिया गया है। श्री कुमार ने कहा कि जूनियर हाइस्कूल में छात्रों की संख्या बढ़ाई जाये ओर अगर एक माह के अन्दर छात्र संख्या में बढ़ोतरी नहीं हुई तो एसबीएसए के विरु0 काग्रवाही निश्चित है। उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के निर्देश देते हुए कहा कि शिक्षक इमानदारी से कार्य करें। शौचालय निर्माण की प्रगति पर संतोषजनक उत्तर न दे पाने पर श्री कुमार पंचायत सेक्रेटरी को फटकार लगाते हुए खण्ड विकास अधिकारी को निर्देश दिये है कि वे इसका सत्यापन कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। जिलाधिकारी महा माया आवास के संबंध में कहा कि अनुसूचित जाति का व्यक्ति जो झापड़ी में अथवा खुले आसमान में रहता हो उसे महा माया आवास अवश्य दिया जाये। गलती से भी कोई पात्र व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए वरना सकेट्री पर कार्यवाही तय है। उन्होंने पेंशन के पात्र लाभार्थियों हेतु सत्यापन उपरान्त कार्यवाही के निर्देश दिये।

इसके अतिरिक्त श्री कुमार ने सफाई व्यवस्था पर जोर देते हुए कहा कि सफाई कर्मियों द्वारा अगर अपने कार्य में रूचि न लिया जाता हो तो उसकी सूचना उपलब्ध

करायी जाये। शुद्ध पेयजल के संबंध में जिलाधिकारी ने कहा कि स्वास्थ्य हित को ध्यान में रखते हुए छोटे हैण्डपम्पों के पानी कदापि न पिये जायें। छोटे हैण्डपम्प हटा दिये जायें तथा इंडिया मार्का-2 हैण्डपम्प का ही जल सेवन किया जाये। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि इंदिरा आवास पर पीली पट्टी पर नाम वर्ष और लागत अवश्य लिखे जायें।

अम्बेडकर ग्राम चरदेइया के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि गांव के सर्वांगीण विकास एवं जनहित की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान की है। शासन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की हैं और उसका क्रियान्वयन कराया जा रहा है उसपर निगरानी की आवश्यकता है। वृद्धावस्था पेंशन के संबंध में ग्राम पंचायत अधिकारी मैनेजर सिंह द्वारा सही कार्य न करने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश देते हुए मुख्यालय से सम्बद्ध करने को कहा। खाद्यान्न वितरण में मानक के विपरीत कोटेदार द्वारा वितरण करने की शिकायत पर जिलाधिकारी ने दुकान निलंबित करने के निर्देश डीएसओ को देते हुए कहा कि इसके विरुद्ध आरोप पत्र जारी करें तथा एक सप्ताह के अन्दर नये चयन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। उन्होंने आपूर्ति निरीक्षक को चेतावनी दी कि भविष्य में अगर इस प्रकार की शिकायत अब संज्ञान में आयी तो उनके विरुद्ध भी कार्यवाही तय है।

अम्बेडकर गांव कोल्हुआ के निरीक्षण के दौरान एबी0एस0ए ब्रह्मपुर द्वारा शिथिल पर्यवेक्षण पाये जाने पर जिलाधिकारी ने उन्हें प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश दिये। खाद्यान्न वितरण में अनियमितता की शिकायत पर उन्होंने कोटे की दुकान निलंबित करने आरोप पत्र जारी करने के निर्देश डीएसओ को देते हुए कहा कि एक सप्ताह के अन्दर नये कोटे का चयन कर लिया जाये।

id fokflr

गोरखपुर 30 जुलाई। जंगल रायगढ़ उर्फ चौरी में रह रहे मुसहर जाति के लोगों के उत्थान हेतु पहल जारी है और वहां रह रहे मुसहर जाति के 66 लोगों को सत्यापन उपरान्त 123 (1) के आधार पर खतौनी दिया जायेगा। उन्होंने स्थानीय लेखपाल को एक सप्ताह के अन्दर सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये ताकि अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

जिलाधिकारी श्री संजय कुमार ने आज अपने आकस्मिक निरीक्षण के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने वहां रह रहे लोगों से कहा कि वे अपने बच्चों को पढ़ने के लिए दाखिला अवश्य कराये, टीकाकरण करायें, छोटे हैण्डपम्पों का पानी न पिये, स्वास्थ्य हित में इंडिया मार्का हैण्डपम्प का जल सेवन करें।

जिलाधिकारी ने बताया कि यहां रह रहे लोगों के लिए दो-तीन माह के अन्दर आवास मुहैया कराया जायेगा एक सप्ताह के अन्दर कालोनी का शिलान्यास भी संभावित है। उन्होंने कहा कि मुसहर समुदाय के लोगों के लिए स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत ग्रुप बनाकर अपना जीवन उत्थान करें। इसके अतिरिक्त यहां सामुदायिक केन्द्र सरस हाट का भी निर्माण कराया जायेगा। बताया गया कि इस समुदाय के लोग पत्तल बनाकर अपना जीविकोपार्जन करते हैं।

जिलाधिकारी के निरीक्षण के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी गण उपस्थित रहे।